# छत्तीसगढ़ विधान सभा

# की

# अशोधित कार्यवाही

**(अधिकृत विवरण)**

**पंचम विधान सभा** **पंचम सत्र (अंक 01)**

**गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी, 2020**

**(पौष 26, शक सम्वत् 1941)**

**विधान सभा के पदाधिकारी**

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष | डॉ. चरणदास महंत |
| उपाध्यक्ष | श्री मनोज सिंह मंडावी |
| प्रमुख सचिव | श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े |

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

**सभापति तालिका**

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
4. श्री शिवरतन शर्मा

**माननीय राज्यपाल**

सुश्री अनुसुईया उइके

**मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री | सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनिज साधन, जन सम्पर्क, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो. |
| 02. | श्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री | पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) |
| 03. | श्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री | लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन |
| 04. | श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री | संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट |
| 05. | डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री | स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, सहकारिता |
| 06. | श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री | परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन, विधि एवं विधायी कार्य |
| 07. | श्री कवासी लखमा, मंत्री | वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्य एवं उद्योग |
| 08. | डॉ.शिवकुमार डहरिया, मंत्री | नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम |
| 09. | श्री अमरजीत भगत, मंत्री | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति |
| 10. | श्रीमती अनिला भेंडिया, मंत्री | महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण |
| 11. | श्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास,वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) |
| 12. | श्री गुरू रूद्र कुमार, मंत्री | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग |
| 13. | श्री उमेश पटेल, मंत्री | उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण |

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

## सदस्यों की वर्णात्मक सूची
## (निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक सहित)

**अ**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | अजय चन्द्राकर | 57-कुरूद |
| 02. | अमरजीत भगत | 11-सीतापुर (अ.ज.जा.) |
| 03. | अरूण वोरा | 64-दुर्ग शहर |
| 04. | अजीत जोगी | 24-मरवाही (अ.ज.जा.) |
| 05. | अनिता योगेंद्र शर्मा, श्रीमती | 47-धरसींवा |
| 06. | अनिला भेंडिया, श्रीमती | 60-डौंडी लोहारा (अ.ज.जा.) |
| 07. | अंबिका सिंहदेव, श्रीमती | 03-बैकुंठपुर |
| 08. | अमितेश शुक्ल | 54-राजिम |
| 09. | अनूप नाग | 79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.) |
| 10. | आशीष कुमार छाबड़ा | 69-बेमेतरा |

**इ**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | इंद्रशाह मण्डावी | 78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.) |
| 02. | इंदू बंजारे, श्रीमती | 38-पामगढ़ (अ.जा.) |

**उ**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती | 17-सारंगढ़ (अ.जा.) |
| 02. | उमेश पटेल | 18-खरसिया |

**क**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | कवासी लखमा | 90-कोन्टा (अ.ज.जा.) |
| 02. | कृष्णमूर्ति बांधी | 32-मस्तूरी (अ.जा.) |
| 03. | किस्मत लाल नंद | 39-सरायपाली (अ.जा.) |
| 04. | कुलदीप जुनेजा | 50-रायपुर नगर उत्तर |
| 05. | कुंवर सिंह निषाद | 61-गुण्डरदेही |
| 06. | केशव प्रसाद चन्द्रा | 37-जैजेपुर |

**ख**

| | | |
|---|---|---|
| 01 | खेलसाय सिंह | 04-प्रेमनगर |

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

**ग**

01. गुरू रूद्र कुमार 67-अहिवारा (अ.जा.)
02. गुरूदयाल सिंह बंजारे 70-नवागढ़ (अ.जा.)
03. गुलाब कमरो 01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.)

**च**

01. चक्रधर सिंह सिदार 15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)
02. चरणदास महंत 35-सक्ती
03. चंदन कश्यप 84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)
04. चंद्रदेव प्रसाद राय 43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)
05. चिन्तामणी महाराज 08-सामरी (अ.ज.जा.)

**छ**

01. छन्नी चंदू साहू, श्रीमती 77-खुज्जी

**ज**

01. जयसिंह अग्रवाल 21-कोरबा

**ट**

01. टी.एस.सिंहदेव 10-अम्बिकापुर

**ड**

01. डमरूधर पुजारी 55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)

**त**

01. ताम्रध्वज साहू 63-दुर्ग ग्रामीण

**द**

01. दलेश्वर साहू 76-डोंगरगांव
02. द्वारिकाधीश यादव 41-खल्लारी
03. देवती कर्मा 88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)
04. देवेंद्र यादव 65-भिलाई नगर
05. देवेंद्र बहादुर सिंह 40-बसना
06. देवव्रत सिंह 73-खैरागढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

**ध**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | धरमलाल कौशिक | 29-बिल्हा |
| 02. | धनेन्द्र साहू | 53-अभनपुर |
| 03. | धर्मजीत सिंह | 26-लोरमी |

**न**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | ननकीराम कंवर | 20-रामपुर (अ.ज.जा.) |
| 02. | नारायण चंदेल | 34-जांजगीर-चांपा |

**प**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | प्रकाश शक्राजीत नायक | 16-रायगढ़ |
| 02. | प्रमोद कुमार शर्मा | 45-बलौदाबाजार |
| 03. | पारसनाथ राजवाड़े | 05- भटगांव |
| 04. | प्रीतम राम, डा. | 09-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.) |
| 05. | पुन्नूलाल मोहले | 27-मुंगेली (अ.जा.) |
| 06. | पुरूषोत्तम कंवर | 22-कटघोरा |
| 07. | प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ. | 06-प्रतापपुर (अ.ज.जा.) |

**ब**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | बृजमोहन अग्रवाल | 51-रायपुर नगर(दक्षिण) |
| 02. | बृहस्पत सिंह | 07-रामानुजगंज (अ.ज.जा.) |

**भ**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | भुनेश्वर शोभाराम बघेल | 74-डोंगरगढ़ (अ.जा.) |
| 02. | भूपेश बघेल | 62-पाटन |

**म**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | ममता चंद्राकर, श्रीमती | 71-पण्डरिया |
| 02. | मनोज सिंह मण्डावी | 80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) |
| 03. | मोहन मरकाम | 83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.) |
| 04. | मोहित राम | 23-पाली-तानाखार(अ.ज.जा.) |
| 05. | मोहम्मद अकबर | 72-कवर्धा |

**य**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | यू.डी.मिंज | 13-कुनकुरी (अ.ज.जा.) |

**र**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | रजनीश कुमार सिंह | 31-बेलतरा |
| 02. | रंजना डीपेंद्र साहू, श्रीमती | 58-धमतरी |
| 03. | राजमन वेंजाम | 87-चित्रकोट (अ.ज.जा.) |
| 04. | रमन सिंह, डॉ. | 75-राजनांदगांव |
| 05. | रामकुमार यादव | 36-चंद्रपुर |
| 06. | रामपुकार सिंह ठाकुर | 14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.) |
| 07. | रविन्द्र चौबे | 68-साजा |
| 08. | रश्मि आशिष सिंह, श्रीमती | 28-तखतपुर |
| 09. | रेखचंद जैन | 86-जगदलपुर |
| 10. | रेणु अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती) | 25-कोटा |

**ल**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | लक्ष्मी ध्रुव, डॉ. | 56-सिहावा (अ.ज.जा.) |
| 02. | लखेश्वर बघेल | 85-बस्तर (अ.ज.जा.) |
| 03. | लालजीत सिंह राठिया | 19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.) |

**व**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | विक्रम मण्डावी | 89-बीजापुर (अ.ज.जा.) |
| 02. | विनय जायसवाल, डॉ. | 02-मनेन्द्रगढ़ |
| 03. | विनय कुमार भगत | 12-जशपुर (अ.ज.जा.) |
| 04. | विद्यारतन भसीन | 66-वैशाली नगर |
| 05. | विकास उपाध्याय | 49-रायपुर नगर पश्चिम |
| 06. | विनोद सेवन लाल चंद्राकर | 42-महासमुन्द |

**श**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | शकुन्तला साहू, सुश्री | 44-कसडोल |
| 02. | शिवरतन शर्मा | 46-भाटापारा |
| 03. | शिवकुमार डहरिया, डॉ. | 52-आरंग (अ.जा.) |
| 04. | शिशुपाल सोरी | 81-कांकेर (अ.ज.जा.) |

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

| | | |
|---|---|---|
| 05. | शैलेश पाण्डे | 30-बिलासपुर |

**स**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | सत्यनारायण शर्मा | 48-रायपुर ग्रामीण |
| 02. | संतराम नेताम | 82-केशकाल (अ.ज.जा.) |
| 03. | संगीता सिन्हा, श्रीमती | 59-संजारी बालोद |
| 04. | सौरभ सिंह | 33-अकलतरा |

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

**गुरूवार, दिनांक 16 जनवरी, 2020**

**(पौष 26, शक् संवत् 1941)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए.**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

**राष्ट्रगीत/राज्यगीत**

राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" की धुन बजाई गई.

राज्यगीत "अपरा पईरी के धार" की धुन बजाई गई.

अध्यक्ष महोदय :- अब सदन महामहिम राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा करेगा ।

**समय**

**11.12 बजे** (राज्यपाल महोदया का चल समारोह के साथ में आगमन हुआ)

**राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई ।**

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, आज छत्तीसगढ़ की विधान सभा में गलत परम्परा डल रही है कि राज्यपाल का अभिभाषण दो बार होगा, कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव दो बार प्रस्तुत होगा, उस पर चर्चा दो बार होगी । देश के संसदीय इतिहास में आज तक कभी इस प्रकार की बात नहीं हुई है । इसलिए विपक्ष के नाते हम इस गलत परम्परा के भागीदार नहीं बनना चाहते । हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी से, संसदीय कार्यमंत्री जी से चर्चा की, परंतु उसके बाद भी यहां पर गलत परम्परा स्थापित हो रही है इसलिए हम माननीय राज्यपाल महोदया का सम्मान करते हुए, हम इस अभिभाषण में, कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे । हम संशोधन भी नहीं देंगे, इसलिए हम बाहर जाते हैं ।

**समय**

**11.14 बजे** **बहिर्गमन**

**माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के विरोध में**

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया ।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- नेता प्रतिपक्ष तुम्हीं को होना था भईया ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना होता है । प्रदेश में दुनिया भर की समस्याएं हैं । हम तो आरक्षण का समर्थन करना चाहते हैं और करेंगे भी । लेकिन कृतज्ञता ज्ञापन का विकृत रूप प्रस्तुत हो रहा है । इसलिए हम भी इसमें भाग नहीं लेंगे ।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी एवं राज्यपाल महोदया, एक गलत परंपरा कि राज्यपाल का अभिभाषण पूरे देश में पहली बार दो बार होगा, इसलिए हम लोग भी बहिर्गमन कर रहे हैं।

**समय**

**11.15 बजे** **बहिर्गमन**

**जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के विरोध में**

(श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

**समय**

**11.15 बजे** **माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण**

माननीय राज्यपाल महोदया (सुश्री अनुसुईया उइके) :- माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ राज्य की पांचवीं विधान सभा के, नव वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले प्रथम सत्र के अवसर पर मैं आप सभी का यथायोग्य अभिवादन करती हूं। छत्तीसगढ़ विधान सभा ने अल्प-समय में अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली से जो गौरवशाली परंपराएं स्थापित की हैं, वह इस विधान सभा के इतिहास में सुनहरे पन्ने के रूप में दर्ज हुई हैं। (मेजों की थपथपाहट) आज इस विधान सभा में आने का मेरा पहला अवसर है जिसकी सुखद अनुभूतियां मुझे भावुक भी कर रही हैं और एक नई ऊर्जा से ऊर्जित भी कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ विधान सभा की कीर्ति-पताका को और ऊंचा करने में सफल होंगे। आप सब प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में अपना योगदान पूरे मनोयोग से करें, इसके लिए मेरी शुभकांमनाएं।

2. मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि नये वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकलापों की शुरूआत एक विशेष अवसर के रूप में हो रही है, जिससे हमें भारत के महान और पावन संविधान के प्रति अगाध निष्ठा, प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। इससे हमें संविधान के प्रति अपने कर्त्तव्य निभाने का अवसर मिला है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जनजातियों के लिए आरक्षण की समय-सीमा बढ़ाये जाने के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसे पूरा करने में आपकी भागीदारी दर्ज होना निश्चय ही बड़े सौभाग्य का विषय है। (मेजों की थपथपाहट)

3. मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्न्ता का अनुभव हो रहा है कि मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों को बेहतर जिंदगी की रोशनी दी है। इन वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और इन्हें संविधान प्रदत्त अधिकारों से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता ने मेरी सरकार के प्रति विश्वास के एक नये युग की शुरूआत की है।

4. मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा अपनी परंपरा के अनुरूप लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की चुनौती स्वीकार करेगी। आप सबकी सक्रियता और योगदान से ही लोकतंत्र का यह मंदिर जनता जनार्दन की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होगा। पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

**(राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई।)**

**समय**

**11.20 बजे** **(माननीय राज्यपाल महोदया ने सभा भवन से प्रस्थान किया)**

**समय**

**11.23 बजे** **अध्यक्ष महोदय (डॉ0 चरणदास महंत) पीठासीन हुए.**

अध्यक्ष महोदयः- माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सभा में जो अभिभाषण दिया गया है, प्रमुख सचिव विधान सभा उसकी प्रति सभा के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव महोदयः- मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसरण में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सभा में दिए गए अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

**समय**

**11.24 बजे** **<u>माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव</u>**

अध्यक्ष महोदयः- माननीय श्री धनेन्द्र साहू।

श्री धनेन्द्र साहूः- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय:- श्री शिशुपाल सोरी।

श्री शिशुपाल सोरी:- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाष्ण पर चर्चा के लिए मैं, आज गुरूवार, दिनांक 16 जनवरी, 2020 को अपराह्न 3.00 बजे का समय निर्धारित करता हूँ। जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हैं, वे आज गुरूवार, दिनांक 16 जनवरी, 2020 को अपराह्न 1.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दे सकते हैं।

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

**समय :-**

**11:25 बजे** **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

**संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 के संशोधन का अनुसमर्थन**

विधि और विधायी कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 105 के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 के संबंध में लोक सभा एवं राज्यसभा की कार्यवाही, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में विधेयक तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त राज्यसभा सचिवालय का सूचना पत्र पटल पर रखता हूं ।

समय :-

11:26 **सभापति तालिका की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
4. श्री शिवरतन शर्मा

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 1:00 बजे तक स्थगित ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(सभा की कार्यवाही 11:26 से 1:00 बजे तक स्थगित रही)

**समय**

**1.00 बजे** (अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुये ।)

**समय**

**1.00 बजे** **कार्यमंत्रणा समिति का पंचम प्रतिवेदन**

अध्यक्ष महोदय:- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरूवार दिनांक 16 जनवरी 2020 में लिये गये निर्णय अनुसार समिति ने संविधान का (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) संशोधन विधेयक 2019 के अनुसमर्थन के संकल्प पर चर्चा के लिए एक घण्टे का समय निर्धारित किया है । अब इसके संबंध में संसदीय कार्य मंत्री, श्री रविन्द्र चौबे जी प्रस्ताव करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

अध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, रायपुर में यहां के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति प्रवीण सोमानी का अपहरण हुये 7 दिन हो गये । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित है । गृह मंत्री जी है नहीं, बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि छत्तीसगढ़ में अपहरण उद्योग बढ़ रहा है । सरकार को ध्यान देकर गंभीरता के साथ में कि अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है, विशेष प्रकरण मानकर इसके ऊपर में ध्यान दें । माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायकों की सुरक्षा हटा दी गई है, जब छत्तीसगढ़ में अपहरण हो रहे हैं, पूर्व विधायकों के पास में अब एक भी पीएसओ नहीं हैं । छत्तीसगढ़ में व्यापारियों का अपहरण हो रहा है । यह आपके लिए ध्यान देने का विषय है । यहां पर अपहरण उद्योग बढ़ रहा है। नक्सलवादी क्षेत्रों के पूर्व विधायकों की सुरक्षा पूरी तरह हटा दी गई है । आज हमारे पूर्व विधायक जी दौरा करते हैं, उनको भी सुरक्षा की आवश्यकता है । शासन इसके ऊपर में ध्यान देगा और इसके ऊपर आप निर्देश देंगे, इस बात का आपसे आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- जी, धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, अपहरण कांड है । गृह मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं है । शासन की ओर से एक वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से आना चाहिये । अभी सत्र चल रहा है और विधान सभा में महत्वपूर्ण घटनाओं के वक्तव्य देने की परंपरा रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**<u>सदन की सूचना</u>**

अध्यक्ष महोदय :- आज माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा जी का जन्म दिन है । मैं अपनी ओर से एवं इस सदन की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनके जन्म दिन पर आप पार्टी दे दीजिए ना ?

अध्यक्ष महोदय :- मोहम्मद अकबर जी ।

**समय**

**1.02 बजे** **संकल्प**

<u>संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 के अनुसमर्थन में संकल्प</u>

<u>(दिनांक 16 जनवरी, 2020)</u>

विधि और विधायी कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि- यह सदन, भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सीट के पास एक नये प्रकार की मशीन लगी है । हम लोग सशंकित हैं । इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है । यह मशीन कोई हम लोगों की चीजों को रिकार्ड करने के लिए तो नहीं है । यह क्या है ? यह कौन सी मशीन है ? क्या मशीन है ? क्या मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए यह मशीन लगाई गई है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड करने के लिए नहीं है, पूरा रिकार्ड है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है । कोई गलत चीजें या अलग डॉयस तो नहीं लगा दिया गया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किस प्रकार की मशीन है, अध्यक्ष महोदय ? इसकी हम जानकारी चाहते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रमुख सचिव जी, आपको जानकारी है तो आप दे दीजिए, नहीं तो मैं उधर से ....। जो माननीय सदस्य समय से ज्यादा समय लेते हैं, उनको निर्धारित करने के लिए वहां लगाने का डेमो दिया गया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- फिर यह उचित नहीं है, यह पूरे सदन की अवमानना है । सदन के समय को निर्धारित करना माननीय अध्यक्ष का काम है । यह माननीय मुख्यमंत्री का काम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं । वह देखने का है । करने का नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह भी नहीं हो सकता।

श्री अजय चन्द्राकर :- सबसे महत्वपूर्ण कि वह सुरक्षित है या नहीं है? यह मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा का सवाल है। कौन सा यंत्र है, क्या है, किस संस्था ने जांच की है, किसके द्वारा लगाया गया है ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। सारी चीजें जनता को मालूम होनी चाहिए। कोई संस्था उसको प्रमाणित करे, देखे कि सुरक्षित है तब वह लगना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस यंत्र को विधानसभा के द्वारा लगाया गया है या सरकार के द्वारा लगाया गया है यह स्पष्ट होना चाहिए?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, ऐसे किसी यंत्र को जो सदस्यों की जानकारी में नहीं हो, लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं है और उस यंत्र को तुरंत निकलवाया जाए। और कोई यंत्र विधानसभा की जानकारी के लिए है तो वह आपकी टेबल पर या सचिव की टेबल पर हो और इसकी जानकारी हमको मिले तो ऐसे किसी भी यंत्र को निकलवाने के बाद में क्योंकि इस विधानसभा में हमारा जो बोलने का अधिकार है उसको आपने जैसा कहा कि समय की पाबंदी होगी तो वह हमारे अधिकारों को रोकने वाला है। इसलिए इस यंत्र को तुरंत निकलवाया जाए और उसके बाद सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, पाबंदी नहीं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चिंता मत करें, वह जो मशीन लगी है, वह सर्वश्रेष्ठ विधायक का निर्धारण करेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा परिसर आपके द्वारा संचालित होता है और विधानसभा के हाल के अंदर ये यंत्र लगा है तो यह स्पष्ट कर दें कि यह आपके द्वारा लगाया गया है या सरकार के द्वारा लगवाया गया है?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यदि ये हटेगा उसके बाद कार्यवाही आगे बढ़नी चाहिए। यह पूरी तरह अवैधानिक है। इसे बिना हटाये कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए। यह गंभीर विषय है, मजाक का विषय नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है कि हम कितने समय बोलें, कितने समय नहीं बोलें। उसको आप नोट कर सकते हैं, इस पर शासन का नियंत्रण नहीं हो सकता इसलिए इस प्रकार का कोई यंत्र अगर शासन के पक्ष की तरफ लगा है तो उसे आप तुरंत निकलवायें, इसके बाद आप कार्यवाही चलायें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और ऐसे कितने यंत्र यहां पर लगाये गये हैं? जब एक सीट पर लग सकता है तो और लगा होगा। ये पूरी विधानसभा के सुरक्षा का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा का सवाल है और हमारे विशेषाधिकार के हनन का सवाल है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मशीन ठीक है या नहीं है? यह क्यों लगाये हैं हमको बता दें?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- ममा, तें का समझेस ओ मशीन ला? (हंसी) अध्यक्ष महोदय, ये अजय जी और बृजमोहन जी तो आसंदी पर ही प्रश्न करने लग गए? क्या माननीय अध्यक्ष जी के बगैर अनुमति के इस सदन में कुछ लगाया जा सकता है? आप क्यों प्रश्न कर रहे हैं? बगैर अध्यक्ष जी की अनुमति के कोई चीज लग सकती है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय की बिना अनुमति के आप यहां नारा लगवा चुके हैं, उसको छोड़िए। आप बिना अनुमति के कई चीजें करवा चुके हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी गवर्नर महोदया का बहिष्कार भी आपने इसलिए किया, उसमें कोई अनुमति थी क्या? कुछ लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं जो आप कर सकते हैं, जो मैं कर सकता हूं। लेकिन यहां जो मशीन लगाई गई है वह माननीय अध्यक्ष जी, माननीय आसंदी के निर्देश पर ही लगा होगा। अब क्यों लगवाये हैं इसका प्रश्न आप अध्यक्ष जी से अकेले में कर लेना।

श्री अजय चन्द्राकर :- मशीन के कार्य को पूछने का हमें अधिकार है और पूरे सदन को इसे जानने का अधिकार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब उसमें ऐसी कोई चिप्स लगी हो जो हमारे सदन के बारे में, सब सदस्यों की उपस्थिति, उनके कोण, दृष्टिकोण, उनके लांगीट्यूड, लेटीट्यूड सब चीजों को बाहर भेज दे। किसी प्रकार की स्थिति यह अच्छी स्थिति नहीं है और इसलिए इस मशीन को तुरंत निकलवाया जाना चाहिए और आपकी तरफ से सदन में जानकारी देनी चाहिए कि ये मशीन क्यों लगाई गई, किसलिए लगाई गई और इस मशीन को निकाला जाना चाहिए और निकलने के बाद ही उस मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मशीन मैंने भी देखा तो मुझे भी उत्सुकता हुई कि ये मशीन लगी क्यों है? जब आप लोग बहिर्गमन कर लिये और राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ तो मैंने सचिवालय से पूछा कि ये है क्या तो उन्होंने बताया कि ये मशीन सभी सीटों में

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

लगेगी और ये विधायकों की सुविधा के लिए है कि दिनभर की कार्यसूची क्या है, आपका पिछले समय जो भाषण हुआ है वह सारा आप देख सकते हैं। आपको पुस्तकालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी में से निकालकर भाषण दे सकें। ये सदस्यों की सुविधा के लिए लगाई गई है, मुझे इस प्रकार से जानकारी दी गई है।

श्री अजीत जोगी :- इसका मतलब हम लोगों को भी मिलेगा न?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यदि सब विधायकों को इससे सुविधा मिल सकती है तो इसे सबके चेयर में लगाया जाना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कभी भी सचिवालय ने विधानसभा सचिवालय ने यदि कोई व्यवस्था की है तो उसमें कुछ व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि कार्यवाही आगे बढ़नी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उस मशीन को मैंने बंद करवा दिया है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे उस डिवाईस का उपयोग प्रतिबंधित है। विधानसभा की कार्यवाही के अंदर कोई भी डिवाईस का उपयोग नहीं किया गया। आप इस बात को देख लीजिए, व्यवस्था के प्रश्न का सवाल यह है, डिवाईस के उपयोग का सवाल है जो विधानसभा परिषद में नहीं होता, कल हम मोबाईल का उपयोग करेंगे। कल यहां किसी और दूसरे डिवाईस का उपयोग होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपसे एक बात का आग्रह है। जब तक विधानसभा की कोई अधिसूचना जारी नहीं हो जाए, तब तक कोई डिवाईस का उपयोग नहीं हो सकता और इसलिए आप पांच मिनट स्थगित करकर उस मशीन को निकलवा दीजिए, उसके बाद में आप प्रारंभ करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज एक गलत परंपरा डल चुकी है। अब यह दूसरी परंपरा फिर यहां पर होगी तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए आप पांच मिनट स्थगित करके उस मशीन को निकलवा दें। बिना आपकी अधिसूचना के कोई भी डिवाईस का उपयोग इस सदन में नहीं हो सकता और किसी ऐसे डिवाईस....।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपके स्थाई आदेश में है कि क्या-क्या चीजें उपयोग नहीं हो सकती, स्थाई आदेश में है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिये। अपने यहां जो पेपरलेस सिस्टम एडॉप्ट करने वाले हैं, उस संदर्भ में इस डिवाईस को लगाया गया है कि हम बैठे-बैठे किस प्रकार से अपनी जानकारी ले सकते हैं। यह कल आपके पास भी लगेगा। आज का दिन एक दिन था, इसलिए लगाया गया है। उस पर भी यदि आपको शंका कुशंका है तो मैं पांच मिनट के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(समय 1:12 बजे से 1:18 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही।)

**समय**

**1.18 बजे (अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए.)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिये। आपको धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मोहन मरकाम जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में 29 सीटें एस.टी. और 10 सीटें एस.सी. के लिए आरक्षित हैं। आज ऐसे सारे पूर्व विधायकों की सुरक्षा हटाने का आदेश हो गया है। पूरा प्रदेश नक्सलवाद से प्रभावित है। वहां पूर्व विधायकों की सुरक्षा के लिए सरकार सुरक्षा बहाल करने की कृपा करे।

**<u>संकल्प (क्रमशः)</u>**

श्री मोहन मरकाम (कोन्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 126 वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण में वृद्धि के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया है और इस सदन में जो संकल्प अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परंतुक के खण्ड (घ) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा पारित किये जाने के लिये प्रस्तावित है। आजादी के बाद इन वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही है। जब संविधान बना था उस समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के आरक्षण के लिए संविधान में 70 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया था। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने केन्द्र ने जो संविधान संशोधन विधेयक लाया है, उसका अनुसमर्थन करने के लिए विशेष सत्र बुलाकर इस सदन से उसको पारित करने जा रहे हैं। देश में 50 प्रतिशत राज्यों का इस विधेयक को समर्थन करना अनिवार्य होता है। आन्ध्रप्रदेश ने इस विधेयक को अनुसमर्थन कर दिया है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जो इस विधेयक का समर्थन करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाई जायेगी, लेकिन विधायिका में एंग्लो-इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करने की व्यवस्था अगले वर्ष जनवरी में समाप्त हो जायेगी। संसद के निचले सदन में सोमवार को पेश किये जाने के लिए सूचीबद्ध एक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला है। संविधान के 126वें संशोधन विधेयक के मुताबिक जब संविधान लागू हुआ था, तब लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 70 वर्ष निर्धारित की गई थी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिये आरक्षण विधेयक को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिये यह व्यवस्था समाप्त की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 334 के मुताबिक इन समुदायों को विधायिका में 70 वर्ष के लिए 25 जनवरी 2020 तक आरक्षण की व्यवस्था थी। संसद में अनुसूचित जाति के लिए 84 सदस्य, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सदस्य, देश भर की राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के लिए 614 सदस्य और अनुसूचित जनजाति के लिए 554 सदस्य हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति एवं अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित जातियों की अधिसूचना माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी की गई है। उपरोक्त दोनों वर्ग कहां-कहां निवासरत हैं, उसको आधार मानकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिये जाने के उपबंध भी संविधान में हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए व्यवस्था की है। संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, संविधान के अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 334 में स्थानों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष पश्चात न रहना, अनुच्छेद 334 में आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की अवधि में आगामी 10 वर्ष की वृद्धि लोकसभा में पारित कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास कैसे हो, उसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है । केन्द्र सरकार द्वारा इसे लोक सभा और राज्य सभा में पारित किया गया है। हम इस संशोधन का अंतर्मन से समर्थन करते हैं । हमारी सरकार, हमारी पार्टी प्रारंभ से ही भारतीय संविधान के क्रियान्वयन का प्रयास करती रही है । आगे भी अपेक्षित परिणाम आते तक प्रयासरत् रहेगी । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ की सरकार को धन्यवाद् देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजातियों को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को पिछली सरकार ने घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया था । हमारी सरकार ने जनसंख्या के अनुपात में 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है । आज भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय सदस्यों को पेट में दर्द होता है । इन्होंने 15 सालों तक इन वर्गों का शोषण किया है । इनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया । लेकिन हमारी सरकार इन वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है । इन वर्गों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास कैसे हो उसके लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की है । आज इस अनुसमर्थन के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूं जिन्होंने लगातार इन वर्गों के लिए काम कर रहे हैं । इनके उत्थान के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं, चाहे बस्तर विकास प्राधिकरण हो या डीएमएफ की राशि हो, चाहे आदिवासी उपयोजना की राशि हो । पिछली सरकार ने आदिवासी उपयोजना 244(1) के पैसे का भी बंदरबांट किया ।

**समय**

**1.26 बजे** **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज मंडावी) पीठासीन हुए.)**

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए जो पैसा केन्द्र सरकार से आता था, उस पैसे का भी इन्होंने बंदरबांट किया । लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है । चाहे बस्तर विकास प्राधिकरण का पैसा है तो वह बस्तर में खर्च होगा । यदि डीएमएफ का पैसा है तो जहां से खनिज उत्खनित होता है उस क्षेत्र में मूलभूत कार्यों और विकास में खर्च होगा । हमारी सरकार अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए लगातार योजनाएं बना रही है और काम भी कर रही है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के साथियों को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करके आखिर क्या जताना चाहते हैं ? 15 साल राज करने के बाद यहां की जनता ने इन्हें 14 सीटों परे समेट दिया है । उसके बाद भी इनको [1](xx) नहीं आ रही है । आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का भी इन्होंने विरोध किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाषण अच्छा दे रहे हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। वे भाषण दे रहे हैं कि हमको (xx) नहीं आ रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- उसको विलोपित करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । विधान सभा की हमारी किसी भी प्रक्रिया या कार्यक्रम के बारे में माननीय मोहन मरकाम जी जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, वह उचित नहीं है । हम मांग नहीं कर रहे हैं, वे खुद ही समझदार है, वे एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं । हम उस पूरी बात को उनके विवेक पर छोड़ते हैं कि वे माफी मागें या नहीं मांगे, लेकिन आपको उसको पूरी तरह विलोपित करना चाहिए, क्योंकि विधान सभा में ये हमारा अधिकार है कि हम कौन सी प्रक्रिया में भाग लें या नहीं लें । हम किस में बहिर्गमन करके बाहर चले जाएं । इस बारे में उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे लगता है कि वह उचित नहीं है । उन शब्दों को पूरी तरह से विलोपित किया जाना चाहिए और उनका विवेक जागृत हो तो उन्हें वापस लेना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- जैसा कि व्यवस्था दी जा चुकी है कि वह शब्द विलोपित कर दिया गया है।

---

[1] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- 25 जनवरी 2020 को ।

**सदन को सूचना**

उपाध्यक्ष महोदय :- एक सूचना है । आज भोजन का अवकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है ।

**सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।**

उपाध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिए लॉबी में स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 जनवरी 2020 को एससी,एसटी वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी वह समाप्त हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब आप समाप्त कीजिएगा ।

श्री मोहन मरकाम :- 20 जनवरी, 2020 को एस.टी., एस.सी. 70 साल पूरे हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इसलिए केन्द्र सरकार ने यह एक सौ छब्बीसवां संशोधन विधेयक, 2019 लाकर इन वर्गों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। मैं इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह संवेदनशील सरकार विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक का अनुसमर्थन करना चाहती है। मैं माननीय विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि इन वर्गों के प्रति विपक्ष के साथी कितने गंभीर हैं? क्योंकि आज बहिर्गमन कर रहे हैं..।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह।

श्री मोहन मरकाम :- इन वर्गों के उत्थान के लिए इन्हें समर्थन करना चाहिए और इस विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन करना चाहिए। ये लगातार बहिर्गमन करना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह देश की दूसरी सरकार है जिसने तत्काल विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक का अनुसमर्थन किया है। इस वर्ग का होने के नाते मैं इस वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तरफ से आपको बहुत-बहुत दिल से बधाई और आभार प्रकट करना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, हमें इनसे पूछकर करना है। वन बाई वन व्यवस्था व्यवस्था आ जाये। आप व्यवस्था दे दें। हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, जब आसंदी में मंडावी जी बैठे रहे तो जरा संभकर। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- सही कहा।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2030 करने के संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा में मंजूरी दी है। आज इस विधान सभा में हम सब इसके समर्थन में खड़े हुए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं। यह ऐसा प्रावधान है, जिसमें हम न केवल माननीय मोदी सरकार केन्द्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं, बल्कि यह विश्वास प्रकट करते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति को मिलने वाला आरक्षण 10 साल के लिए नहीं सदा-सदा के लिए लोगों को मिलता रहेगा और यह मंशा माननीय मोदी जी ने अपने विचार और बात के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। यह न केवल आरक्षण की व्यवस्था समाज को आत्मविश्वास देता है, बल्कि  नौकरी और शिक्षा में विशेष अवसर होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अफवाह फैलाया जाता है। जिस प्रकार से मोदी सरकार और मोदी जी के बारे में बार-बार इस बात की चर्चा होती थी कि आप आरक्षण के विरोधी हैं और इस प्रकार इस बात को प्रचारित और प्रसारित करने का कुचक्र किया गया। मोदी जी ने पूरी हिम्मत और पूरी ताकत के साथ इसका न केवल समर्थन किया, बल्कि उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। यह ऐसा शस्त्र है जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति का समाज में एक व्यापक परिवर्तन होगा और यह शब्द जो मैं यूज कर रहा हूं कि सदा-सदा के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यह विचार उन्होंने प्रकट किया। पिछले 15 वर्षों में अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ में काम हुए। अनुसूचित जाति प्राधिकरण, अनूसूचित जनजाति प्राधिकरण का निर्माण हुआ। प्रयास के माध्यम से काम हुआ। Aspirational district के निर्माण हुए। बस्तर और सरगुजा में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ये सारे काम चलते रहे।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात सुन रहा हूं, लेकिन मोदी सुने तब तो। ये बोल रहे हैं सदा-सदा के लिए, वह हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन वे तो सुनते नहीं भैय्या। क्या करें? इसलिए तो नहीं किया। इसे उन्हें सुनाओ। जाकर भिड़ जाओ। अगर आपको जरूरत होगी तो हम भी आ जायेंगे। (हंसी)

श्री रमन सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं भारत सरकार के पहले कानून मंत्री और सम्मान के साथ इस देश को संविधान देने वाले डॉ. भीमराव अंबेडर को याद करना चाहता हूं। डॉ. अंबेडकर साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयनमेन की हैसियत से ऐसा संविधान बनाया, जिस संविधान में न केवल भारत के लिए और भारत की जनता के लिए मौलिक अधिकार दिये। नीति निर्देशक तत्व दिये। इसके साथ ही साथ सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भारत का संविधान अपने आप में एक संपूर्ण संविधान है। डॉ. अंबेडकर ने कहा था :- The Constitution apart from being a document of empowering India is also document of social justice. यह सामाजिक न्याय का भी दस्तावेज है और यह न केवल भारत को सशक्त और मजबूत करने का अधिकार है, बल्कि भारत के लिए सोशल जस्टिस का यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें Non discrimination, महिलाओं के लिए अधिकार, उसके साथ ही साथ एस0सी0, एस0टी0 वर्ग के आरक्षण की बात इसमें कही गई है। जब आरक्षण के विषय की चर्चा होती है, जब हम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आरक्षण के विषय में बात करते हैं तो निश्चित रूप से भारत के एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था की चर्चा होती है। लोकतन्त्र में सभी समाज के सभी वर्गों की आवाज होनी चाहिए। जब तक सभी वर्ग, सभी समाज की आवाज नहीं होगी, तब तक लोकतन्त्र अधूरा है। जातिगत विभेद के कारण, अन्याय की वजह से हमारे समाज में, इतिहास में लंबे समय तक एक वर्ग पिछड़ा रहा। एस0सी0, एस0टी0 का समाज कहीं न कहीं जातिगत विभेद की वजह से पिछड़ता चला गया। उसको दूर करने के लिए जब हम संशोधन की जरूरत समझते हैं, अधिकार देने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे संविधान में समानता के अधिकार को लेकर संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। इसमें मूलभूत अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 14 में जोड़ा गया है। लेकिन जब वास्तव में सकारात्मक विभेद न किया जाये, यह मूल विषय संविधान का है। जब तक सकारात्मक विभेद न किया जाये, तब तक वास्तविक अर्थों में समानता स्थापित नहीं की जा सकती है। इस बात को लेकर हमारे संविधान निर्माता समझते थे। इसलिए डॉ0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 को सही मायने में सार्थक बनाने के लिए अनुच्छेद 14(2) जोड़ा गया। हमारे इतिहास में लंबे अर्से तक समाज में समानता के अवसर से एक वर्ग को वंचित रखा गया। समाज के हिस्से अपनी लापरवाही के कारण नहीं, विभेदपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण पिछड़ते गये। इसलिए आज की सामाजिक, राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी जातियों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक विभेद करते हुए राजनीतिक आरक्षण का लाभे दें। ताकि ऐसे छूटे हुए लोगों को प्रतिनिधि का भी राजनीतिक अवसर मिले और उनकी आवाज का समावेश रूप से हमारे लोकतन्त्र में गूंज हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के 126वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 334 के अन्तर्गत लोकसभा और विधानसभा में एस0सी0, एस0टी0 वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो मोदी सरकार ने 10 साल की है, यह व्यवस्था जो 25 जनवरी, 2020 को हो जाती, अब संविधान संशोधन के बाद 25 जनवरी 2030 तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। मगर अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार ने 1999 में पृथक जनजाति मंत्रालय की स्थापना करके उस वर्ग के सशक्तिकरण की शुरूआत की थी। इसके साथ ही मोदी जी ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा ( Constitutional status) प्रदान की और 126वें संशोधन द्वारा मोदी जी ने एस0सी0, एस0टी0 को लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाकर यह कदम उठाया है। जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते थे और आरोप लगाते थे, इस आरक्षण विरोधी अफवाह को समाप्त करना, निश्चित रूप से इस पार्लियामेंट ने निर्णय लिया है, यह विधानसभा उसका समर्थन करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इतिहास देखेंगे कि जब-जब समाज विभाहित रहा है, जब-जब समाज टूटित रहे हैं, तब-तब यह देश गुलामी की दिशा में आगे बढ़ा है। समाज को विभाजन से बचाने के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिए, समाज में भागीदारी बढ़ाने के लिए, भारत को गुलामी की दौर से मुक्त करना है, भारत को सशक्त और मजबूत करना है, तो सभी समाज को बराबरी का अधिकार देना आवश्यक है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर और उनका लिखित संविधान जो लागू है, एक सशक्त भारत के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में देश उभर रहा है। सभी समाज के सभी वर्गों को समानता का अधिकार है। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में यह देश ग्लोबल पावर बनेगा, जब अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के सभी वर्गों को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। मोदी जी और भारत सरकार और छत्तीसगढ़ विधानसभा को साधुवाद देना चाहता हूं कि एस0सी0, एस0टी0 वर्ग के प्रतिनिधि को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री अजीत जोगी (मारवाही) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात आपको व्यक्तिगत रूप से हार्दिक बधाई से प्रारंभ करना चाहता हूं कि आप उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं । मैंने प्रारंभ से अब तक आपके राजनैतिक जीवन को बहुत नजदीक से देखा है और व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आदिवासी समुदाय होने के बावजूद आपकी प्रतिभा के कारण आपको यह कुर्सी मिली है । मैं आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि पूरा सदन आपको बधाई देने में मेरा समर्थन करेगा । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक इस 126वें संविधान संशोधन का प्रश्न है । मैं प्रारंभ में ही यह कहना चाहूंगा कि जब संविधान बना, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूज्य भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर बने तो जब आदिवासियों और अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने का प्रश्न उठा तो सबने उसका पुरजोर समर्थन किया और विशेषकर मैं याद करना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर के अतिरिक्त पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और विशेष रूप से कैप्टन जयपाल सिंह, जो अकेले आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे आज झारखण्ड बना, वहां से सांसद थे, उन्होंने उस पर जमकर बोला और सबने सर्वसम्म्ति से प्रारंभ में केवल 10 वर्ष के लिए एस.सी. और एस.टी. के आरक्षण का प्रस्ताव किया था। उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मुझे आशा है कि ये जो दूरी है, असमानता है, वह इन 10 वर्षों में पूरी हो जाएगी, पर मुझे दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है कि 10 वर्षो में यह असमानता, यह राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर नहीं हुई और हर 10 वर्ष में संविधान का संशोधन करना पड़ता है कि इसको फिर से बढ़ायी जाए । मैं यही आशा करता हूं। आदरणीय सदस्य डा. रमन सिंह जी ने कहा कि यह आजीवन बने रहना चाहिए । मैं ये आशा करता हूं कि अब ये जो 10 वर्ष हैं, इसके बाद हमको एस.सी. और एस.टी. को आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हम उनके समान रूप पर इन 10 वर्षों में खड़े हो जाएं, ऐसा कम से कम हमको छत्तीसगढ़ में प्रयास करना चाहिए कि हमारा शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, पेयजल का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्तर, हमारे जो अनुसूचित जाति के साथ अस्पृश्यता होती है, उसका स्तर, जो ह्यूमन डेव्हपलमेंट इंडेक्स है, उसका स्तर, यह सब कनेक्टिविटी, जिसके कारण नक्सलवाद पनपा कि हम अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं जा सकते, इन सबका निराकरा अगर 10 वर्षों मे हो जाए तो मुझे और मेरे ख्याल से पूरे सदन को बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमको 2030 के बाद ऐसा कोई प्रस्ताव न लाना पड़े कि इनको आरक्षण दिया जाए । अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए, पर मैं इसे समीचीन समझता हूं । अभी अजय चनद्राकर जी ने मुझे कहा कि उदाहरण जरूर दीजिए । हम आरक्षण नहीं लेना चाहेंगे, अगर हमको उस योग्य आप बना देंगे, जितने दूसरे लोग हैं तो हमको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है । मुझे आई.पी.एस., आई.ए.एस. में जाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि सौभाग्य से मैं उस स्तर की पढ़ाई कर सका, जिससे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकें । मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के सभी एस.सी., एस.टी. उस स्तर पर इन 10 वर्षों में आ जाएं, यह मेरी कामना है।

मानिनीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान निर्माताओं को याद करते हुए यह स्मरण करना चाहूंगा कि केवल आर्टिकल 330 और 332 में ही नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें समानता का अधिकार बहुत से अनुच्छेदों में दिया है । अभी डा. रमन सिंह जी ने आर्टिकल 14 का उल्लेख किया, जो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ । आप एस.सी. हो, एस.टी. हो, औरत हो, आप ओ.बी.सी. हो, हमारा संविधान यह कहता है कि हम सब को समान अधिकार है । आर्टिकल 14 के द्वारा हमको यह अधिकार दिया गया है । आर्टिकल 15 यह कहता है कि discrimination नहीं किया जा सकता । एक दूसरे के बीच में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, राज्य के आधार पर, कोई discrimination नहीं किया जा सकता । उसी तरह से आर्टिकल 16 यह कहता है, इन सब का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि केवल यह मत समझिये कि हमको आरक्षण 300, 332 में मिला है, वहीं तक सीमित है । हमारा अधिकार आर्टिकल 16 अगर पढ़ेंगे, उसमें यह लिखा हुआ है कि Public employment में यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जायेगा । इतने सारे अधिकार हमको दिये गये हैं, फिर भी हम उनकी बराबरी पर नहीं आ पा रहे हैं । वर्ष 2011 के जनगणना की रिपोर्ट को देखें तो हमारे अनुसूचित जाति की पापुलेशन 20.13 करोड़ और अनुसूचित जाति की पापुलेशन 10.5 करोड़, बताई गई है । 70 साल में हम लोग उनके बराबरी पर क्यों नहीं आ पाये । इस पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिये । मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते हैं । उनको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के Class-1 सर्विसेस में, जो प्रथम श्रेणी की सर्विस है, उसमें कानून के अनुसार 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति को और 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलना चाहिये । आप अगर आज सचिवों की संख्या देखें तो Class-1 आफिसर्स की संख्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर देखें तो 15 प्रतिशत की जगह 10 पर अटकी हुई है और 8 प्रतिशत की जगह आदिवासियों के लिए 4 प्रतिशत पर अटकी हुई है । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे सारे हाई कोर्ट देख लीजिए,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारा सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, कितने जज हमारे हैं, कितने जज एस.सी.और एस.टी. के बन पाये हैं । जुडिशियरी में, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, पर मैं यह कहता हूँ कि हम लोग इसलिए जज नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाई का स्तर, कानून के ज्ञान का स्तर, संभवत: वैसा नहीं माना जा रहा है । इसलिए यह जो पिछड़ापन है, जो लोग इसका विरोध करते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अभी भी हमको बहुत दूरी तय करनी है । 15 प्रतिशत एस.सी. को आरक्षण Class-1 में होना चाहिये और वह 8-9 प्रतिशत पर अटका हुआ है, 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का होना चाहिये, वह 4 प्रतिशत में अटका हुआ है, इसको बराबरी में लाने के लिए 10 वर्षों में हम सब को प्रयास करना चाहिये। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़, विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़, के दक्षिणी भाग को, भाषण लंबा हो जायेगा, मेरे पास आंकड़े हैं । वहां अगर आप शिक्षा का स्तर देखें, वहां अगर आप स्वास्थ्य का स्तर देखें, वहां अगर आप कूपोषण का स्तर देखें, वहां आप कनेक्टिविटी का स्तर देखें, सड़कों का स्तर देखें, आज हम लोग इन इलाकों में देश के स्तर तक तो पहुंचना दूर है, प्रदेश के स्तर पर भी नहीं पहुंच पाये हैं । इसलिए यह आरक्षण बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक बात कुछ कटु लग सकती है, पर मैं कहना आवश्यक समझता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि एस.सी./एस.टी. को आरक्षण देने से गुणवत्ता प्रभावित हो जायेगी। जिनकी गुणवत्ता कम है वह लोग आगे बढ़ जायेंगे और जिनकी गुणवत्ता ज्यादा है वह लोग पीछे रह जायेंगे। मैं इसका उत्तर इतिहास से देना चाहूंगा कि अगर गुणवत्ता के आधार पर देश ठीक से चल सकता तो आप देश के इतिहास को पढ़िए, पांच हजार सालों का इतिहास लिखा गया है, उसमें हजारों साल तक हम गुलाम रहे। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी 10 हजार घुड़सवार लेकर आये और दौड़ते हुए अफगानिस्तान से लेकर सोमनाथ तक पहुंच गए। उस समय देश की आबादी 20 करोड़ थी किन्तु 10 हजार घुड़सवारों को हम नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाये, उस समय तो आरक्षण नहीं था? क्यों नहीं रोक पाए, इसका मुख्य कारण यह है कि भारत की एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की जो बड़ी आबादी है, उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि कौन राजा है। दिल्ली में राजा बदलेगा पर हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। इसलिए मैं इतिहास का स्मरण कराकर आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को गुणवत्ता के नाम पर बदनाम नहीं करिए। मैं बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर हजारों उदाहरण दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री अजीत जोगी :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट और बोल लूं? आपकी तारीफ से चालू किया हूं। मैं समाप्त करने के पहले यह कहना चाहूंगा कि हम लोगों को आजादी मिली। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़िए, सब लोग कहते हैं कि क्रांति का प्रारंभ, आजादी की लड़ाई का प्रारंभ सन् 1857 से हुआ, पर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यह 1857 में नहीं, बल्कि 1857 के बहुत पहले शहीद गैंदसिंह ने भूमिकाल आंदोलन में और उसके 100 साल पहले इस प्रदेश के आदिवासियों ने अंग्रेजों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

से लड़ाई लड़ी और शहादत दी। तो इस देश की आजादी में आदिवासियों का, गरीब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये मत कहिए कि बिना योगदान के हम लोग ये सब कुछ पा रहे हैं, बिना गुणवत्ता के हम लोग ये सब कुछ पा रहे हैं। इस भ्रम को दूर कर लीजिए। अगर हम दूसरों की बराबरी पर आ जायेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सन् 2030 में हम आरक्षण की मांग नहीं करेंगे। हमको उस स्तर तक तो ले आईये। दक्षिण बस्तर का रहने वाला आदिवासी रायपुर के रहने वाले किसी व्यक्ति की बराबरी पर आ तो जाए, तब आप आरक्षण को रोकिए। इसलिए जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं उनसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि न तो गुणवत्ता के आधार पर विरोध करिए, न तो इस आधार पर विरोध करिए कि देश की आजादी में हमारा कोई योगदान नहीं रहा। आपने समय की पाबंदी लगा दी है, इस विषय पर बहुत लंबा बोला जा सकता है पर मैं अधिक नहीं बोलकर आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे पर्याप्त समय दिया कि मैं संक्षेप में आरक्षण के इस 126 वें संशोधन का पुरजोर समर्थन अपने और अपनी पार्टी की ओर से कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरी पार्टी ने एक प्रस्ताव यह भी दिया है, जिस पर सत्तापक्ष को प्रसन्न होना चाहिए कि केन्द्र सरकार ने जो सी.ए.ए. कानून पारित किया है वह ठीक नहीं है, संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 और आर्टिकल 25 से 30 के खिलाफ है, उस प्रस्ताव को भी मैं आपके सामने रखता हूं, धन्यवाद।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के द्वारा संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत 126 वें संविधान संशोधन 25 जनवरी सन् 2030 के लिये किया जा रहा है, मैं इसका अनुसमर्थन करती हूँ और इसके पक्ष में मैं अपना विचार रखना चाहती हूँ। यह आरक्षण क्यों जरूरी है ? इसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ी स्थिति को देखकर दंतेवाड़ा का विकास चार वर्षों में करने की बात कही है। इसीलिए आदिवासियों की जमीन, जिसको छीन लिया गया था, उसको भी लौटाया है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देती हूँ कि इस संविधान संशोधन विधेयक को रखा है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये इसमें संशोधन करके तिथि बढ़ाने के लिये भी विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं इसके अनुसमर्थन में यह कहना चाहती हूँ कि आज भी अनुसूचित जाति, जनजाति, कुछ लोग जो मुट्ठीभर हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से विकास किये है, उससे पूरे समाज का विकास नहीं हो जाता है। आज भी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरा समाज पिछड़ा हुआ है। जैसा विकास इन 70 सालों में होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है। यदि इस क्षेत्र में देखें तो उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। समानता से विकास नहीं हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं एवं संसदीय संस्थाओं में 80 प्रतिशत जनसंख्या होने के बावजूद भी अपना अध्यक्ष चयन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनकी आरक्षण की अवधि बढ़ानी चाहिए। अधोसंरचना निर्माण की दृष्टिकोण से देखते हैं तो पर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किलोमीटर के हिसाब से यदि देखें तो हमारा जो दूरस्थ आदिवासी एरिया है, बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इस मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हम कैसे विकास की कल्पना कर सकते हैं ? इस बात पर भी विचार करते हुए इस पर निर्णय लेना जरूरी है। यदि गरीबी रेखा की आंकड़ों को देखा जाये तो सबसे ज्यादा गरीबी रेखा की आंकड़ों में एस.टी. और एस.सी. की जनसंख्या दर्शाती है। इसमें व्याप्त कुपोषण के कारण स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए इनको जब तक आरक्षण न लागू किया जाये, इनके विकास की ओर पूरा ध्यान न दिया जाये, तब तक विकास संभव नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुपोषण योजना लागू की है, चलित स्वास्थ्य योजना लागू की है, ताकि इनका पूर्ण रूप से विकास हो सके। यदि बेरोजगारी के दृष्टिकोण से देखा जाये तो भी आरक्षण जरूरी है। आज आदिवासी समाज, मैं स्वयं आदिवासी समाज से बिलांग करती हूं। उनके बीच जाती हूँ, उनकी बेरोजगारी की दुर्दशा को देखती हूँ, क्योंकि टेक्निकल ज्ञान का अभाव है और प्राइवेट सेक्टर में भी इनको आरक्षण नहीं है। सरकार सरकारी स्तर पर जितना रोजगार दे रही है, उतना पा रहे हैं, तो यहां पर भी आरक्षण का होना बहुत जरूरी है। सामाजिक एवं प्रशासकीय व्यवहार में भी असमानता है, जिससे लोगों में उपेक्षा की भावना व्याप्त है, जिसके कारण वहां पर नक्सलवादी विचाराधारा पनपा है और उससे वे संघर्ष कर रहे हैं तो बाकी के विकास की ओर वे सोच ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए यहां आरक्षण का होना बहुत जरूरी है। अधिकार तो मिला है लेकिन अधिकार पाने की बात होती है तो न्यायालय में उलझाकर रख दिया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति, समाज जो है उसी में उलझकर रह गया है। पदोन्नति में भी आरक्षण होना चाहिए, जैसे की उदाहरण के लिये अभी फॉरेस्ट विभाग में 19 लोगों को एस.डी.ओ. बनाना था, लेकिन 14 लोगों को मिल गया और 4 आदिवासी थे, वे बच गये हैं। इस प्रकार अधिकार मिला है, लेकिन अधिकार नहीं के बराबर है और न्यायालय में उलझकर रह गये हैं तो मैं इसके अनुसमर्थन में यही बात कहना चाहती हूँ कि जब तक समानता का अधिकार सभी क्षेत्रों में बराबर ढंग से लागू नहीं किया जाएगा और लोगों में सकारात्मक सोच पैदा नहीं होगी तब तक इनका विकास संभव नहीं है। यदि भारत को महाशक्ति बनाना है तो महाशक्ति बनने के लिए चाहे एस. टी., एस.सी., ओ.बी.सी. हो, सभी वर्गों का विकास होना बहुत जरूरी है तभी हम महाशक्ति का सपना पूरा कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आरक्षण होना जरूरी है और यह 25 जनवरी, 2030 तक लागू किया जाना बहुत आवश्यक है। मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत बढ़िया आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है, जो संशोधन विधेयक है। हम सब उस विधेयक का समर्थन तथा चर्चा करने के लिए बैठे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम जो हमारे भारत रत्न ''डॉ. भीमराव अम्बेडकर'' जी को धन्यवाद् देता हूँ तथा उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ जिन्होंने यह आरक्षरण का प्रावधान किया। देश में कुछ वर्गों को जो सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता था, उनके साथ तरह-तरह के प्रताड़ना की घटनाएं सामने आती रहीं, उनको बचाकर, संविधान में प्रावधान करके, उनको सामाजिक न्याय दिलाना, सामाजिक, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक रास्ता (रिजर्वेशन) का प्रावधान किया। अब इस रिजर्वेशन्स में जो प्रावधान है, आज हम प्रावधानित करेंगे क्योंकि आरक्षण का कार्यकाल 25 जनवरी को समाप्त होने वाला है। हम सब मिलकर इस संकल्प को पास करेंगे ताकि यह 25 जनवरी, 2030 तक चले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यही से उठता है कि हम जो हर साल आरक्षण देते चले आ रहे हैं। हम इस बिल का आरक्षण करते हैं, लेकिन कुछ बातें और भी हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुईं बातें हैं। ये बिल इससलिये बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आज भी हमें जिस उद्देश्य, भावनाओं को लेकर आरक्षण दिया गया था, वह फुल-फील नहीं हुआ। आज भी अनुसूचित जनजाति, जाति के लोगों को जिस सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वह बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब हम इसे बढ़ाने के लिए प्रावधानित, प्रस्तावित करते हैं, परन्तु आप जब देखेंगे आगे बढ़ाने की बात आती है कि हमारे लगातार 70 वर्षों से आरक्षण देने के बावजूद भी, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ जिस अपेक्षा से बात होनी चाहिए, वह नहीं हुई। आप देखेंगे कि आज भी प्रदेश में बैकलॉग भर्तियां खाली पड़ी हुई हैं। इन बैकलॉग पदों में भर्ती के लिए कोई समितियां नहीं बनी है, जो समितियां से तय करे और बैकलॉग पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की भर्ती हो। ऐसे हम बीच में आरक्षण करते हैं। हम ईमानदारी से आरक्षण करें, यह तो हम संवैधानिक रूप से आरक्षण कर रहे हैं। हमारे व्यावहारिक रूप का दूसरा पक्ष है। हम आज भी बैकलॉग की भर्ती नहीं करा सक रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो बहुत मुश्किल से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग नौकरियों में आते हैं और जब नौकरियों में आते हैं तो प्रमोशन में भी आरक्षण की बात आती है, हम वहां भी फेल खा जाते हैं। हम आरक्षण में संविधान की बात करते हैं वहां भी फेल खा जाते हैं। हम जिस आर्थिक समानता के लिए अभी मोहन मरकाम जी बात रख रहे थे कि अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक सामाजिक, विशेष घटक के पैसे हैं। मोहन मरकाम जी, आज विशेष घटक के पैसे हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए आये हैं । आप कितने पैसे का उपयोग ठोक-बाजकर कर रहे हैं। आप केवल अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की करते हैं और कहीं पर भी उस विशेष घटक के पैसे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन पैसे को आप तनख्वाह देने में बांट देते हैं, उनकी शिक्षा में उपयोग नहीं करते हैं। आप देखिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति के विशेष घटक का पैसा जो उनकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति में सुधार में खर्च होना चाहिए। अभी विद्यार्थियों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल नहीं बना पाये हैं। किसी जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल की संख्या को बढ़ाने में असफल हैं और मोहन मरकाम जी आप एक तरफ अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- बांधी जी, पहली सरकार में उच्च शिक्षा के विद्यार्थी मन के स्कालरशिप नहीं मिले हे, कई बार महूं एमन के संग में गये रहों, पहली जो शिक्षा मंत्री रहिस, ते तो अभी नई हे, सबूत रहतिस तो मैं ओला बता भी देथौं। ओहू ला अभी हमन लड़न हन।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यादव जी, तैं बहुत बढ़िया कहत हस, लेकिन एक बात बता देंव, डॉ. रमन सिंह जी के सरकार ने अनुसूचित जाति के क्षेत्रों को शिक्षा की समानता के लिए सरगुजा में यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया, मेडिकल कालेज खोलने का काम किया, उन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम किया, इसके लिए मैं डॉ. रमन सिंह को धन्यवाद देता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- वह पैसा केन्द्र से आया है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- 12 प्रतिशत आरक्षण देने का भी काम किया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोहन मरकाम जी की एक और बात कर रहा हूं। जब हमारी सरकार थी, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, हमने 12 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया, तब आप लोगों ने  समाज के अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में बहुत सारे भ्रम और अफवाह फैलाई। अफवाह फैला करके आपने यह तय किया कि हमारी सरकार आने दो, हम अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे, यह आपने छाती ठोक-ठोक करके धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया, परन्तु आपकी सरकार ने इन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। .. (व्यवधान)..

श्री मोहन मरकाम :-  आपने 15 साल आदिवासी उपयोजना का पैसा कहां-कहां खर्च किया है, हम बतायेंगे। आदिवासी उपयोजना, बस्तर विकास प्राधिकरण का पैसा आपने एयर कंडीशन गाड़ियॉ खरीदने में, स्वीमिंग पुल बनाने में, लिफ्ट बनाने में खर्च करते थे। बांधी साहब यह क्यों भूल रहे हैं? हमारे पास पूरे आंकड़ें हैं, मैं बता दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी, बैठिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये कहता हूं कि हमसे गलती हुई, आप छाती ठोक कर सुधारने की बात क्यों नहीं करते कि हम अनुसूचित जाति के विशेष घटक का पैसा दमदारी से, पूरा संकल्पित हो करके, पूरी योजना बना करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए खर्च करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये चन्द्रा जी, आप बोलिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण में इतनी भ्रम की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया, आप बोलिये। आपको 5 मिनट से जयादा समय हो गया है। जो समय निर्धारित किया गया है, वह सबके लिए मान्य होगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मोहन मरकाम जी, चुनाव के पहले अपने अनुसूचित जाति के लोगों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने की बात की और जनसंख्या 12.5 थी, वह 5 दशमवल को एक ही किया जा सकता है और आपने उसको एक किया, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ भ्रम की स्थिति बनाकर रखे हैं। उनके अधिकार की जो बात करते थे, आपने आज भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ न्याय नहीं किया।

श्री रामकुमार यादव :- 12 प्रतिशत को 13 प्रतिशत किया।

उपाध्यक्ष महोदय :- हॉ, चन्द्रा जी, आप बोलिये, आपका समय हो गया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, टोका-टाकी में पूरा समय निकल गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- इसीलिए आदमी को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, अपने रास्ते में चलना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आप बोले कि बांधी जी आपका समय हो गया, एक सीरियल में देखे थे, ऊपर से आकर बोलता था कि हो गया, वैसा वाला हो गया, मत करिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- उसका मतलब है कि समय हो गया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का एक आंकड़ा आया कि हमारे देश में जनसंख्या को आधार मान करके हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि जो वर्तमान 2011 के आंकडों के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति की संख्या हैं, माननीय जोगी जी ने कहा कि इनकी संख्या करीब 20 करोड़ है और पूरे देश में 10 करोड़ अनसूचित जनजाति की संख्या है, इन्हें भी इनके अधिकार के हिसाब से ।

श्री मोहन मरकाम :- डॉ. बांधी जी, आपके नेता लोग और [23](xx) ने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे । [4](xx) ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए । आपके भाजपा के लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं बढ़ाना चाहिए । उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, सदन की मान्य परम्परा रही है कि जो व्यक्ति सदन का

---

[4] **अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित**



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदस्य नहीं होता उसके नाम का उल्लेख नहीं होना चाहिए । माननीय मोहन मरकाम जी ने (xx) का उल्लेख किया है, इसको विलोपित किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है । डॉ. साहब बहुत समय हो गया है बाकी सदस्यों को भी बोलना है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कहकर समाप्त करता हूं । 20 करोड़ संख्या अनुसूचित जाति की है, लगभग साढ़े 10 करोड़ अनुसूचित जनजाति की है । इनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात होनी चाहिए । इस सुझाव के साथ यह प्रस्ताव यहां से जाना चाहिए ताकि यह अनुसूचित जाति, जनजाति के हितों का संरक्षण हो । धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाने का जो संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में अगर आरक्षण की व्यवस्था की तो उसका उद्देश्य था कि जो उस समय सामाजिक असमानताएं थीं, वे दूर होनी चाहिए । समाज में निम्न जीवन जीने वालों को भी शिक्षा का अधिकार मिले । उन्हें नौकरी और राजनीति में प्रतिनिधित्व मिले । आरक्षण का यही उद्देश्य था और यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए दिया गया था । इस उम्मीद के साथ दिया गया था कि जो भी सरकार बने वह उन्हें इन 10 वर्षों में इस स्तर पर खड़ा कर दे कि 10 वर्षों के बाद उन्हें आरक्षण की आवश्यकता न पड़े । लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, आज भी सामाजिक असमानता है, आज भी हम सामाजिक रूप से तिरस्कार का जीवन जी रहे हैं, भले ही संविधान में जाति व्यवस्था समाप्त करने की बात है । जाति के आधार पर किसी का तिरस्कार न करने की बात हो लेकिन यह व्यवहार में देखने को नहीं मिल रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण आज 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा । लेकिन अभी आदरणीय डॉ. बांधी जी बोल रहे थे कि जो रिक्त पद हैं, उन्हें ही नहीं भरा जा रहा है। आज प्रदेश और देश में जितने भी शासकीय उपक्रम थे वे निजी हाथों में जा रहे हैं । निजीकरण के कारण वहां आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । इन परिस्थितियों में जिस उद्देश्य से संविधान में आरक्षण दिया गया था । उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाना मुझे संभव नहीं लग रहा है । हां, जो परिवार पढ़-लिख गए हैं, वे परिवार निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे । लेकिन जो परिवार आज भी गरीब और अशिक्षित हैं, उनको भी बराबर में आने का मौका अभी भी नहीं मिल पा रहा है । माननीय मरकाम जी बता रहे थे कि हमने 12 प्रतिशत को बढ़ाकर 13 प्रतिशत कर दिया । पहले 16 प्रतिशत था, आपने 16 प्रतिशत क्यों नहीं किया ? चलिए, आप इस सरकार के बारे में बोल रहे हो कि इन्होंने 12 किया तो अब आपकी सरकार आ गई है अनुसूचित जाति को आपको अधिकार देना था तो आप 12 प्रतिशत को बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर देते । आपने कहा कि हमने ओबीसी के 14 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया, लेकिन यह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कहां मिल रहा है ? आपने 27 प्रतिशत ऐसा किया कि न्यायालय में जाकर मामला अटक गया और पिछड़े वर्ग के लोग आज भी प्रताड़ित हैं ।

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यसभा और लोक सभा में विधेयक पारित हो चुका है। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात है, जिसकी मांग लंबे समय से चल रही है कि 16 प्रतिशत को 12 प्रतिशत कर दिया गया है। पूर्व की भांति छत्तीसगढ़ सरकार निर्णय लेकर उसे भी 16 प्रतिशत करे। क्योंकि अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज्यादा उपेक्षित और सबसे ज्यादा आज भी आज की परिस्थिति में भी, आजादी के इतने दिन के बाद भी वे शोषण का शिकार हो रहे हैं। आज भी उन्हें सामाजिक रूप से बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 10 वर्ष के लिए जो आरक्षण बढ़ा रहे हैं, इन 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करे, क्योंकि विकास का मूल मंत्र शिक्षा ही है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास करके लोगों को शिक्षित करके उनका जो उद्देश्य है, उसे हम पूरा कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय (बिलाईगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आज एस.सी., एस.टी. संविधान संशोधन आरक्षण विधेयक देश के दोनों सदन में लोक सभा और राज्यसभा में पारित हो गया है। इस छत्तीसगढ़ विधान सभा में भी इस बिल पर चर्चा हो रही है। मैं समर्थन में खड़ा हूं और इस सदन से निवेदन चाहूंगा कि पूरे देश में आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए समतामूलक समाज में उस समानता की ओर ले जाने की जरूरत है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दबे कुचलित, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित समाज को एक सम्मानरूपी जीवन जीने के लिए एक स्वतंत्रता उनको देने के लिए प्रयास किया था। इस गुलामी की जंजीर से हम आजाद हुए हैं, पर आज भी हमारी स्थिति यह है कि जो दलित समाज है, जो आदिवासी भाई हैं, उनकी स्थिति आज भी बद से बदतर है। मेरे विधान सभा में भी वनवासी भाइयों के गांव पहुंच तक आज भी सड़क नहीं गया है। न सुचारू रूप से है बिजली की व्यवस्था और न ही पीने के पानी के व्यवस्था है। इस देश में आज भी अगर उसे सही सम्मान की जरूरत है तो मौलिक अधिकार के साथ-साथ उनको ये सारी व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस 10 साल में भी यह देश का 6वां संविधान संशोधन विधेयक है। बाबा साहब के बनाये गये संविधान के अनुरूप इस दबे, कुचले, शोषित समाज को न्याय दिलाने के लिए महात्मा फूले जी ने, पेरियार साहब जी ने, राधास्वामी नायर जी ने भी योगदान दिया है। आज जरूरत है कि इस एस.सी., एस.टी. लोगों के आरक्षण को इस विधेयक को हम सभी को सर्वसम्मति से पास कराने की। आज इस सदन में सारे लोग बैठे हैं। सब लोग जानते हैं कि ये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लोग आज भी झुग्गी झोपड़ीनुमा घरों में रहते हैं। आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से आज भी ये वर्ग पिछड़े हैं। छत्तीसगढ़ के 32 प्रतिशत आदिवासी भाई और 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जिसमें 43 जातियां अनुसूचित जाति की और 42 जातियां अनुसूचित जनजाति की हैं। ये 43 प्रतिशत जातियां आज भी सम्मान के लिए दर-दर ठोकर खा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें और पास कराएं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का यह विशेष सत्र, भारत के संविधान में 126वें संशोधन को समर्थन देने के लिए बुलाया गया है। भारत की लोकसभा में जब यह संशोधन विधेयक पेश हुआ और विधेयक की जो प्रति बांटी गई, उसमें इस संशोधन के उद्देश्य और कारणों का कथन किया गया है। उसके पैरा-2 में लिखा है कि यद्‌यपि गत 70 वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने पर्याप्त प्रगति की है और वे कारण जिनके स्थानों के पूर्वक आरक्षण के सम्बन्ध में उपबंध करने के लिए संविधान सभा ने विचार किया था, अभी भी विद्‌यमान हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब इस आरक्षण को बढ़ाने का समर्थन करते हैं। परन्तु आज इस बात की भी चिंता करने की आवश्यकता है कि हम 70 सालों में भी उन कारणों को दूर क्यों नहीं कर पाये? 70 साल बाद भी वे परिस्थितियां निर्मित क्यों हैं ? यदि ईमानदारी से इस पर विचार किया जायेगा तो हम उन कारणों को इसलिए दूर नहीं कर पाये क्योंकि जो सरकारें ज्यादातर समय केन्द्र और राज्यों में सत्त में रहीं, उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजातियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया। उनके उत्थान की चिंता नहीं की। अभी मोहन मरकाम जी का बड़ा जोरदार भाषण हुआ। जोरदार भाषण देते हुए बोल रहे थे कि हमने अनुसूचित जातियों के लिए ये किया, जनजातियों के लिए ये किया। परन्तु आरक्षण के नाम पर लोगों की भावनाओं से कैसे खेला जाता है, मैं उसका उदाहरण आपके सामने रखता हूं। प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण बढ़ाने की घोषणा की।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय शिवरतन जी, अभी माननीय डॉ0 रमन सिंह जी क्या बोल रहे थे ? हमेशा के लिए किया जाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मेरी बात सुन लो न।

श्री मोहम्मद अकबर :- हां, सुन रहा हूं न। मतलब आगे चलकर हमेशा के लिए वोट बैंक बनाना चाहते हैं क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं पूरी बात रखूंगा। मैं वह बात भी रखूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, आरक्षण के नाम पर लोगों की भावनाओं से कैसे खेला जाता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो, तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की यह सरकार की है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाने की घोषणा हुई कि हम 24 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करेंगे। पिछड़े वर्ग के माध्यम से पूरे जिला मुख्यालयों में माननीय मुख्यमंत्री

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जी और प्रदेश के मंत्रियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक खास बंदा उसी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में जाता है और हाईकोर्ट उस पिछड़ वर्ग के आरक्षण पर स्टे कर देता है। फिर लोगों की भावनाओं को भड़काकर के इस आरक्षण के स्टे के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन होता है। उस आयोजन में भी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और प्रमुख नेतागण ही लगे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है ? जो व्यक्ति आरक्षण को स्टे कराने के लिए हाईकोर्ट जाता है, उस व्यक्ति को यह सरकार और सरकार के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा उपकृत किया जाता है। उसे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कबीर शोध पीठ का अध्यक्ष बना दिया जाता है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय शिवरतन जी, आरोप तो आप लगा रहे हैं। आप प्रमाण दे सकते हैं क्या ? यदि प्रमाण है तो आप प्रमाण सहित बात करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- किस बात का प्रमाण ?

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने कहा कि उनको उपकृत किया गया, मुख्यमंत्री जी ने हमारे ही किसी के द्वारा हाईकोर्ट में मामला लगवा दिया, जिसके कारण स्टे हो गया। आपके पास कोई प्रमाण है?

श्री शिवरतन शर्मा :- बिलकुल, बोल रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं, बोलने से क्या होगा ? कोई प्रमाण है तो रखिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां-हां, मैं तो बोल रहा हूं न। माननीय अकबर जी, मैं बोल रहा हूं।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय शर्मा जी, जब तक आपके पास प्रमाण नहीं है, आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं पूरे प्रमाण सहित बोल रहा हूं। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है।

श्री धनेन्द्र साहू :- यदि है तो आप पूरे प्रमाण सहित आरोप लगाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरा प्रदेश जानता है कि आरक्षण के खिलाफ एक व्यक्ति कुणाल शुक्ला स्टे के लिए गया। पूरा प्रदेश जानता है कि सरकार ने कुणाल शुक्ला को कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कबीर शोध पंथ का चेयरमेन नियुक्त किया है। ....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन जी, बैठिये।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगाया है, जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता है, तब तक इस तरह आरोप नहीं लगाये। इसको विलोपित करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि इसको विलोपित करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अकबर साहब से पूछना चाहता हूं कि ये बता दें कबीर शोध विद्यापीठ के लिए....।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि समय भी कम है और सबको बोलना है, समय को देखते हुए केवल विषय पर ही ध्यान दें और इधर-उधर बात न करें। संविधान के संशोधन विधेयक पर ही चर्चा करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकबर साहब से पूछना चाहता हूं कि श्री कुणाल शुक्ला को कबीर शोध विद्यापीठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है या नहीं ? कुणाल शुक्ला पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में स्टे लेने गए थे या नहीं ? वे स्वयं बता दें । सरकार ने उनको नियुक्त किया है, उसके बाद किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या ? यही घटनाएं ऐसी हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- उपाध्यक्ष महोदय, शिवरतन जी, ये दो अलग-अलग विषय हैं, आप जोड़िए मत । वह उनकी मूल भावना है, उसके हिसाब से वे कोर्ट गए हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही विषय हैं । आप आरक्षण के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- ये दोनों विषय को जोड़कर आप गलत ढंग से आरोप मत लगाईए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात करते हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- आप इसके विरोध में हैं क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- इसको मंत्रिमण्डल ने पारित करके दिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे ले आया, उसको आप उपकृत कर रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन जी, आप समाप्त करिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- ये कोई प्रमाण नहीं हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप विषय तक ही सीमित रहें ।

श्री मोहन मरकाम :- आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, यह बता दीजिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- ये कोई प्रमाण नहीं हुआ । ये दो बातें हैं, आप उसको जोड़िए मत ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी बोल ही नहीं पाया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- समय हो गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने के समय में मंत्री जी खड़े हो गए तो मैं क्या करूं ? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि ये कैसे भावनाओं से खेलते हैं । अंबेडकर साहब का नाम सब लेते हैं । हम सब बोलते हैं कि जो संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा में बात करने वाले व्यक्ति माननीय अंबेडकर साहब थे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, संकल्प पर बोलें क्योंकि समय कि कमी है और लोगों को भी बोलना है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंबेडकर साहब की मृत्यु सन् 1956 में हुई थी और अंबेडकर साहब को भारत रत्न कब दिया गया ? 1990 में भारत रत्न दिया गया । कांग्रेस के एक ही परिवार के चार सदस्यों के बीच में यह उपाधि दी गई । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, विवादित बातों पर ध्यान न दें । विधेयक पर बोलें । और भी सदस्य हैं । संतराम नेताम जी । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के समर्थन से गठबंधन की सरकार चल रही थी, उस समय बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया । आरक्षण के नाम पर कांग्रेस के लोग लोगों की भावनाओं को भड़काने का, लोगों की भावनाओं से खेलने का काम करते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ का है ।

श्री मोहन मरकाम :- शर्मा जी, आप पूछ लीजिए कि आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं ? विधेयक का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- आरक्षण के विषय में हमर का राय हे, तेन ला बोलना हे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- संतराम जी, आप बोलिए ।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में हमें जो आरक्षण मिला है, 26 जनवरी, 1950 से आरक्षण को 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, जिसमें निरंतर यह व्यवस्था आजतक बनी हुई है । इसी आरक्षण के लिए आज 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के लिए 126वां संविधान संशोधन लाया गया है, जिसका मैं समर्थन करता हूं और अपनी बात कहना चाहता हूं ।

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान के प्रारूप समिति के सभापति थे और संविधान के बहुत अधिक जानकार और विशेषज्ञ थे, से लेकर देश के कई महान विभूतियों ने इस संबंध में कार्य किए हैं, चूंकि वे सभी इस कार्य से अच्छे से भिज्ञ थे कि बगैर सामाजिक न्याय एवं वंचितों को लाए बगैर देश का विकास संभव नहीं होगा । संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण एवं अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है, जिसके तहत लोकसभा में आज 543 में से अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं । इस प्रकार राज्य में अनुसूचित जाति हेतु 10 सीट तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है । मुझे इस बात की खुशी है कि उस नियम के कारण आज मैं भी इस विधान सभा का सदस्य हूं । हम बस्तर के आदिवासी भाइयों और बहनों को इस प्रावधान के कारण यहां विधायक के रूप में चुनकर आने का मौका मिला है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन को बताना चाहेंगे कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, लगभग 20 करोड़ एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10 करोड़ लगभग है । इनके साक्षरता का प्रतिशत क्रमश: 66 एवं 59 है, जबकि देश में साक्षरता का प्रतिशत 70 है । अर्थात अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों की साक्षरता का प्रतिशत देश के अन्य लोगों की साक्षरता प्रतिशत के बराबर नहीं हो पाया है । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, जो आरक्षण हमको दिया है, जिसके कारण आज हमारे वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, पूरे देश और प्रदेश में विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 4120 है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के ....।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेताम जी समाप्त करें ।

श्री संतराम नेताम :- बिल्कुल दो मिनट में उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 554 सदस्य है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सोच है, हमारे एस.टी., एस.सी. लोगों को ऊपर उठने का जो मौका दिया है, एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूँ । No peon, No water के संबंध में कहना चाहूंगा कि जब हमारे डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर बंबई के स्कूल में पढ़ते थे, वहां पर स्कूल में प्राचार्य के द्वारा यह व्यवस्था थी कि बगैर Peon के आप पानी नहीं पी सकते । हमारे बाबा साहेब को पानी पीने का था, लेकिन उस नियम के तहत वह पानी नहीं पी पाये । उसी दिन से उन्होंने ठाना था कि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था का हम खंडन करेंगे, एक नई व्यवस्था लायेंगे । उसके चलते आज हम इस काम के कारण छुआछूत की भावना से ऊपर उठकर बिना भेद-भाव के काम कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे डॉ.रमन सिंह जी अभी कह रहे थे कि हमारे मोदी जी की सोच है कि आरक्षण हमेंशा के लिए बने रहना चाहिये । लेकिन आप पिछले मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, हम सब को मालूम है कि इनके जो आर.एस.एस. के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े-बड़े नेता है, वह इस आरक्षण को समाप्त करने की बात कहते हैं । आज इस सदन में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर प्रकाश ...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संतराम जी, आर.एस.एस. के लोगों ने कब आरक्षण समाप्त करने की बात कही है ? (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- नाम बोलूंगा तो फिर आपत्ति लगायेंगे । (व्यवधान)

श्री शिवतरन शर्मा :- जो रविशंकर जी हैं, वे आर.एस.एस. के हैं, उन्होंने आरक्षण के लिए ...। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- माननीय मोहन मरकाम जी ने कहा था । आपने आपत्ति लगाया था, इसलिए मैं उस नाम को नहीं बोला हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सब को पता है कि 3.00 बजे से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी है । अभी वर्तमान में पांच सदस्य बाकी है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लिंक से हटकर बात मत करियेगा और समय को ध्यान दीजिएगा ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमको आरक्षण मिला है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बस्तर प्राधिकरण में जो पैसा पिछले बार ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी ।

श्री संतराम नेताम :- उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार मिल रहा है । थोड़ा सा..।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट हम देते हैं ।

श्री संतराम नेताम :- मैं वहीं बात कहना चाहता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बस्तर प्राधिकरण का जो पैसा पिछले बार हमने पांच साल में देखा है, उस पैसे का उपयोग राजनांदगांव में ज्यादा से ज्यादा करते थे । इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बस्तर में कैसा विकास होना चाहिये, सड़क, पुल, पुलिया का विकास कैसे होना चाहिये, वह वहां के विधायक तय करेंगे । इसलिए उन्होंने हमारे विधायकों को बस्तर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाये हैं । यह आदिवासियों के प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी ।

श्री संतराम नेताम :- उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोलने दीजिए । दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- जैसा कि आप सभी को सूचित किया हूँ कि 3.00 बजे से माननीय राज्यपाल महोदय ...।

श्री संतराम नेताम :- उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार के मुखिया का सोच होनी चाहिये, हमारे सरकार के मुखिया, भूपेश बघेल जी ने बस्तर के आदिवासियों को जो ज्यादा वहां पर निवास करते हैं, सूपोषित योजना चालू किया है... ।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेताम जी, आपको धन्यवाद ।

श्री संतराम नेताम :- धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र के लोकसभा और राज्य सभा में पारित 126 वें संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की अवधि बढ़ाए जाने के प्रस्ताव के अनुसमर्थन में मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मैं उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय को सेन्ट्रल पार्लियामेंट में लिया और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अनुसमर्थन के लिए वह हिन्दुस्तान के अन्य विधानसभाओं में जाने के पहले ही अग्रणी होकर के छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करके इस विधानसभा का समर्थन देने का काम किये हैं, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। ये श्रेय लेने, होड़ लेने या आरोप-प्रत्यारोप का अवसर नहीं है। ये एक बहुत ही ऐसे वर्ग से संबंधित मामला है जो सदियों से वंचित, शोषित और पीड़ित रहे हैं और आज उनको फिर से इसकी जरूरत थी। आगे भी जब तक जरूरत होगी इसको इसी तरह से चाहे यहां इस सदन में कोई भी होगा या दिल्ली में कोई भी होगा इसको आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। ये जो अफवाहें चलती हैं, कई बयानबाजी होती हैं, कई विचारक अपने-अपने विचार व्यक्त करते हैं, इन सब चीजों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह उनका हक है और उनके हक को किसी के विचार से, किसी के प्रस्ताव से छीना नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत तकलीफें झेली हैं और आज भी वे तकलीफ में ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं उस पूरे मसले में यह कहना चाहता हूं।

संस्कृति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- धर्मजीत भैय्या, आज आप खुश नहीं दिख रहे हैं, बढ़िया से बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है?

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, भटकाईये मत।

श्री अजय चन्द्राकर :- खाने-पीने की व्यवस्था है?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कृतज्ञता ज्ञापन में कुछ लिखे होते न कि हमने नरवा, गरूआ, घुरवा में ये किया, हमने वहां पर ये किया और 85 लाख क्विंटल से ज्यादा धान खरीद लिया तब आपसे बात करते ना। हम तो समर्थन में है अब इसमें बाकी क्या कहें।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाई साहब, आप तो पूरा उल्लेख करिए, नरवा, गरूआ, घुरवा बारी भर नहीं, गेंड़ी छूटा है, भौंरा छूटा है, रायचुली छूटा है, मछली धरना झूटा है, अभी कई प्रकार की चीजें छूटी हैं।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, जो अनुपम खेर टाईप बीच में खड़ा होकर बोलते हैं। (श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य सिर मुंडन कराकर सदन में उपस्थित हैं।)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो दिल्ली की सरकार से संशोधन हुआ है उसका समर्थन करके हम छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी आबादी को इसका लाभ देने जा रहे हैं। राज्य का क्षेत्रफल 1 लाख 35 हजार 192 वर्ग किलोमीटर है जिसमें राज्य के आदिवासी उपयोजना का क्षेत्र 8161 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल 65.12 प्रतिशत क्षेत्र एस.सी. और एस.टी. प्रभावित क्षेत्र है। यहां की जनसंख्या वर्ष 2011 के मुताबिक 2 करोड़ 55 लाख है जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या 78 लाख है जो कि कुल जनसंख्या का 30.62 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संख्या 33 लाख है जो कि कुल जनसंख्या का 13 प्रतिशत है। इस प्रकारी पूरी आबादी की 44 प्रतिशत आबादी एस.सी. और एस.टी. वर्ग की है। छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता के संबंध में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता औसत 59.09 प्रतिशत है जिसमें पुरूष 69.67 प्रतिशत, महिला 48.76 प्रतिशत साक्षर हैं। अनुसूचित जाति में साक्षरता 70.76 प्रतिशत है जिसमें पुरूष 81.66 प्रतिशत तथा महिलाएं 59.86 प्रतिशत हैं। ये तरक्की के आंकड़े थोड़े बहुत संतोष करने के लायक इसलिए हैं क्योंकि आरक्षण की सुविधा मिलने से इस समाज के लोगों को पढ़ाई-लिखाई करके अपने पैर पर खड़ा होने का अवसर मिला और वे आगे बढ़े। लेकिन आरक्षण दे देने मात्र से ही अगर हम ये समझते हैं कि इस समाज या इस वर्ग का भला हो जायेगा तो ये फिर हम अपने आपसे धोखे वाली बात कर रहे हैं। आरक्षण मिला है ये उनका अधिकार है, पर उस आरक्षण के माध्यम से उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे वह प्रदेश की सरकार हो, चाहे वह जिले की सरकार हो, चाहे वह पंचायत की सरकार हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि वनांचल क्षेत्र में रहने वाले गरीब वनवासियों को, जो कि आदिवासी समाज के हैं, बैगा जनजाति के हैं, उनका जीवन स्तर आज भी बहुत अच्छा नहीं है। पीने के पानी के लिये वे परेशान रहते हैं। मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों से वे मौत की आगोस में चले जाते हैं। फर्स्ट एड नाम की कोई चिकित्सा और सुविधा नहीं है। आदरणीय मंत्री जी, अब आप ही आ गये हैं तो आपसे ही बोल देता हूँ। मैं प्रोफेसर खेड़ा के डेथ के बाद लमनी गांव गया था। जब मैंने लमनी गांव में पूछा कि यहां आखिर चिकित्सा के लिये आपके पास एम्बुलेंस हैं कि नहीं है तो उन्होंने कहा एम्बुलेंस है। मैं पिछले 25-30 साल से वहां विधायक की राजनीति में सक्रिय हूँ। एक त्रिपाठी नाम का कम्पाउंडर, वहां पर दिन रात रहकर काम करता है। एक एम्बुलेंस जिसके चारों टायर फटे हुए हैं और वे किसी भी घाट में कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। मैंने बदलने की मांग कर ली, क्‍या गरीब आदमियों के लिये ईलाज का एक इतना सा इंतजाम, वह एम्बुलेंस है उसके चार टायर नहीं बदले जा सकते ? यह मैं व्यवस्था की खामी आपको बता रहा हूँ कि इसको सोचना होगा। पीने के पानी के लिये झीरिया खोद रहे हैं, पीने के पानी का जो रिंग मशीन आता है वह शहर में बड़े-बड़े सिफारिशों में दूसरे गांवों में खोदे जाते हैं जहां पर दस-दस ट्यूबवेल पहले से लगे हुए हैं। क्या उन दूरस्थ अंचल में रहने वाले बैगा आदिवासी जो लिखा पढ़ी नहीं कर सकते, उनके यहां यह व्यवस्था नहीं जा सकती ?

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज दो उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं एक व्यवस्था को सुधारने के लिये आपने विनम्र आग्रह कर रहा हूं। लोरमी का चंदली गांव है। वहां एक तिरीथ नाम का सरपंच है। अनुसूचित जाति की वह लड़की दो महीने से गायब है। वह कॉलेज जा रही थी, वह रास्ते से गायब है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है। हम 9 बार पुलिस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वालों से बात कर लिये हैं। उस लड़की का कोई अता-पता नहीं है। अगर वही लड़की निर्भया होती, अगर वही लड़की दिल्ली में होती, अगर वही लड़की रायपुर में होती और अनुसूचित जाति की होती, तब तो और भी ज्यादा यहां पर बवाल मचता। लेकिन वह गांव में है, कोई बोलने वाला नहीं है, पुलिस से बात करो तो उसके गुस्से में हमारे लोगों को तंग करने की कार्यवाही होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि उस बच्ची का पता कौन बतायेगा ? हालांकि आने वाले सत्र में मैं उसका प्रश्न भी लगाऊंगा, ध्यानाकर्षण भी लगाऊंगा, लेकिन मैं इस व्यवस्था की कमजोरी और व्यवस्था की बेबसी की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय चंद्राकर जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक और उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धान खरीदी का विषय है। हम अनुसूचित जाति की आरक्षण की बात कर रहे हैं। लोरमी ब्लाक में नवागांव ठेलका नाम का एक गांव है। वहां का कोटवार अपने धान को लेकर आ रहा था उसे पकड़ लिया गया। पकड़ के जप्ती बना ली गयी। मैंने एस.डी.एम. को फोन किया तो बोले मेरे पास मामला नहीं है, कलेक्टर के पास गया है। वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो किसान है, न कोई व्यापारी है, न कुछ है, उसके धान की जप्ती खत्म नहीं कर रहे हैं। यह अधिकार है। यही आरक्षण है। अगर आप उनको अधिकार नहीं दे सकते हैं तो यह आरक्षण बेईमानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय चंद्राकर जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए समाज के सभी क्षेत्रों में, सभी स्थानों पर चाहे वह नौकरी हो, प्रमोशन हो, धान खरीदी हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, सुविधा हो, पीने का पानी हो, पहला और आखिरी अधिकार उनका है और उनको यह अधिकार देना होगा। सिर्फ आरक्षण कर देने से भला नहीं होगा। उनको उनके मूलभूत हक और हुकूम उनको मिलना चाहिए। यह मेरा आग्रह है। आपने इसको लाया, हम इसका तहे दिल से समर्थन करते हैं और आपके इस प्रयास की भी सराहना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको समर्थन देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह प्रस्ताव जरूर पास हो, सर्वानुमति से हो, लेकिन सरकार को भी विचार करना होगा। हमारे प्रोजेक्ट में पहले अनुसूचित जाति, जनजाति थे। गांव हटा दिये गये, अब आजकल जो-जो अनुसूचित जाति के विधायक हैं, उनके भर क्षेत्र को रखा गया है। पहले हमारे लोग भी थे। हमारे यहां भी 70-80, 90-90 प्रतिशत के गांव हैं। उनके लिये आखिर उनके भी (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, अजय चंद्राकर जी। हो गया, हो गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसलिए इन पर विचार करिये, व्यावहारिक रूप से आप इनको हक दिलाईये, ये आपसे प्रार्थना है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। भाई अमरजीत जी, मैं आज यहां पर किसी पर टिका-टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत गौरव और खुशी का क्षण है कि हमारे अनुसूचित

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जाति, जनजाति के भाईयों को ये अधिकार मिल रहा है। ये हम सब के लिए ही गौरव की बात है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये एक सौ छब्बीसवें संविधान संशोधन के विधान सभा से अनुमोदन पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हम सब की किसी भी तरह की असहमति नहीं है, हम सब सहमत हैं। अब कांग्रेस पक्ष की ओर से सहमति देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले खड़े हुए। जो विषय सहमति का है जिस विषय में हमको कोई संकल्प व्यक्त करना चाहिए और जिस विषय पर हमारी भूमिका क्या हो सकती है, इस पवित्र सदन की भूमिका क्या हो सकती है और हम क्या उससे आगे सोच सकते हैं ? इस पर बात करनी चाहिए। अब आप राजनीतिक बात करते हैं और यदि राजनीतिक बात का राजनीतिक उत्तर होता है तब आपको लगता है कि साहब, मैं उसको सुन नहीं पाऊंगा। आरक्षण को 10 साल बढ़ाने की बात होती है। छत्तीसगढ़ शासन में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को जनसंख्या के अनुपात में किया गया। आप किस बात का धन्यवाद् दे रहे हैं ? अनुसूचित जाति के आरक्षण को 13 प्रतिशत किया जायेगा। हमने भी वक्तव्य को पढ़ा है, हमने भी सुना है आप कब से 13 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं उसका आदेश हो गया क्या? आप किस बात का धन्यवाद् दे रहे हैं उसका आदेश हो गया क्या ? वर्ष 2021 की जनसंख्या आएगी तब उसमें विचार किया जायेगा, एडवांस में धन्यवाद् हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरी बात आज तक आरक्षण का संबंध नौकरियों से जोड़कर देखा जाता है। आरक्षण में छत्तीसगढ़ 27 प्रतिशत की बात हुई। ओ.बी.सी. के लिए 27 प्रतिशत में किस तरह से बात की गई? किस तरह के आदेश सामान्य वर्ग के लिए निकाले गये? थोड़ी देर पहले मैंने जोगी जी से कहा था कि जब आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण केवल नौकरी देने के लिए नहीं है, उसके सामाजिक न्याय, समानता, आर्थिक समानता, सब के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को ये बात बोलनी चाहिए, जब मेरी सरकार है तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के बजट का कितना प्रतिशत एक साल में उपयोग हुआ है ? अनुसूचित जनजाति के बजट का कितना उपयोग हुआ है ? उनके सशक्तिकरण के लिए कितने कानून हैं ? उसके सशक्तिकरण के कानून के कितने मामले लंबित हैं ? उसकी जांच कितने दिनों में हुई है ? या नहीं हुई है ? वह किसलिये लंबित है ? और दूसरी बात उनके अधिकारों के सशक्तिकरण की बात होती है मैंने पंचायती राज संस्थाओं में उठाया था कि पेसा में इस सरकार के दृष्टिकोण क्या हैं ? यदि आप सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं उसके लिए कौन सा कानून छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने पारित किया, कौन सा ऐसा एक्ट लाया, कौन सा ऐसा लेजिस्लेशन किया, जिसमें उनको सशक्ति मिले। अब जब रमन सिंह सरकार या 15 सालों की आलोचना होती है और जब बस्तर की बात होती है और बस्तर प्राधिकरण के खर्चे राजनादंगांव में आने जाने की बात होती है। जब राजनीतिक विषय में

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

चर्चा होती है तो वे यह बताना भूल जाते हैं कि प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार क्या था? उस प्राधिकरण से एक मेडिकल कॉलेज पैदा होता है, उस प्राधिकरण से एक यूनिवर्सिटी पैदा होती है। आज आदिवासी वर्ग या अनुसूचित जाति वर्ग का हर आदमी माननीय अजीत जोगी बने, जो अनारक्षित वर्ग से भी अपनी योग्यताओं से चुनकर आये। क्या ये कितने पद आरक्षित वर्ग के कौन से आरक्षण में छत्तीसगढ़ में खाली है जो मंत्री उत्तर देंगे, माननीय मंत्रिगण यह बोलेंगे क्या ? कि सरगुजा और बस्तर में जिन पदों में रिक्तियां हैं, उसको कितने दिनों में भरा जाएगा? उस वर्ग के कितने पद खाली हैं ? एक भी वक्ताओं ने उधर से बात नहीं की और यह धन्यवाद् देते हैं। वर्ष 2021 की जनसंख्या में 13 प्रतिशत तथाकथित रूप से होने वाला है तो जो काम हम कर सकते हैं, उसमें हम बात नहीं करते हैं और हम धन्यवाद् देना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपवाह कैसे उड़ायी जाती है । अभी एक सज्जन बोल रहे थे, संतकुमार नेताम जी एक साथ चुनकर आये, एक संसद पहुंच गये, एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गये और वे जगह में लटक गये। तीनों पिछली सरकार में हमारे बड़े आलोचक होते थे और अच्छा बोलने वाले लोग होते थे। आज भी उन्होंने अच्छा बोला और अच्छा बोलने से ऊंची जगह में हैं, वह हॉ में हॉ मिलायेगा, उस दिन कहीं बैठ जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी अफवाह उड़ाई गई, यह बोल रहे थे कि फलाना संस्था आरक्षण की विरोधी है। आरक्षण के बारे में बात करते हुए रविशंकर शुक्ल जी ने जो बात कही, वह जिस संस्था से निकलकर आये,, जिस संस्था में उनके पिताजी काम करते थे, उसी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया और कहा कि ये सारी चीजें अफवाह हैं कि आरक्षण मे क्रीमीलेयर की बात समाप्त मानी जाये। यदि कोई क्रीमीलेयर की बात करता है तो उस समाज के साथ अपराध करता है। ये कमिटमेन्ट कांग्रेस ने कभी नहीं दिखाया था, ये बात कांग्रेस ने कभी नहीं कही थी। आदिवासी मंत्रालय बनना हो, चाहे ओ.बी.सी. कमीशन का बनना हो, 70 साल में एक भी एम्पावरमेन्ट का काम वोटलैण्ड बनाने के अतिरिक्त नहीं किया है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- चन्द्राकर जी, जिस प्रकार से आप अपनी बात को फेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आरक्षण आपने ही दिया है। आरक्षण कांग्रेस सरकार की देन है और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो बात है वह उतना ही है। इसके लिए बधाई और श्रेय कांग्रेस के नेताओं को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके नालेज को बहुत-बहुत बधाई। क्या आपका बोलने के लिए नंबर नहीं है ?

श्री अमरजीत भगत :- जिस आर.एस.एस. की बात मोहन मरकाम जी, नेताम जी बोल रहे थे, बिहार के चुनाव में आपके ही नेता ने इस मुद्दा को उठाया था, जिसके चलते आप लोग बिहार में चुनाव हार गये थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- झारखंड हार गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि क्रीमीलेयर को एस.सी. और एस.टी. आरक्षण में जोड़ने की सोचता भी है तो वह पाप माना जायेगा। यह कहने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अब दूसरी बात आरक्षण को कांग्रेस पार्टी ने दिया, अभी संविधान दिवस है, मैं फिर से इस बात की चुनौती देता हूं कि कौन कांग्रेसी नेता ने संविधान सभा में बहस में आरक्षण के बारे में बात की है, वह पटल पर रख दें। .. (व्यवधान).. मैंने कहा था कि बाबा साहब संविधान सभा में कांग्रेस के समर्थन से नहीं पहुंचे थे। संविधान सभा में कांग्रेस के समर्थन से बाबा साहब नहीं पहुंचे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है।

श्री अमरजीत भगत :- आज तो हम लोग आपका असली चेहरा देखे हैं, जब समर्थन देना था तो आप बाहर निकल गये।

श्री मोहन मरकाम :- आप बाहर निकल गये। आपका असली चेहरा पता चल गया। .. (व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, बैठ जाईये। माननीय सदस्य से निवेदन है कि जल्दी समाप्त करियेगा। आपको सबसे ज्यादा समय दिया गया है।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, [XX][5]।

श्री मोहन मरकाम :- इन्होंने अपमान किया है। वह संवैधानिक पद में हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX], ओमन ला चुप कराओ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इन्होंने माननीय राज्यपाल महोदया का अपमान किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय :- हॉ बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा व्यवस्था का प्रश्न ये है संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल के साथ कोई जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये व्यवस्था देने का करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- जो चीज में बोलना है, उस पर बोलिये।

---

**[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि हर बात में जातिसूचक बातों का इस्तेमाल न किया जाये। इससे सदन की गरिमा घटती है।

उपाध्यक्ष महोदय :- समय को देखते हुए आप इधर-उधर बात मत करिये।

श्री संतराम नेताम :- एक लाईन में बोलये कि आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

श्री मोहन मरकाम :- आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह बता दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय राज्यपाल महोदया जी ने यहां पर अभिभाषण दिया है, उनके अपमान के मामले में अगर यहां पर कोई भी चर्चा या शब्दों का उपयोग किया है तो उसको विलोपित कर दें। क्योंकि इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है और उसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं तो उसको आप विलोपित कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलो, विलोपित कर दूंगा ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया, हो गया ।

श्री नारायण चंदेल :- यह विधेयक पर चर्चा हो रही है और यहां इस प्रकार से टोकाटाकी और बीच बीच में खड़े होकर बात की जा रही है । हमारे एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया । सबसे ज्यादा समय आपको दिया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं समाप्त ही कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- हां चलो एक मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब यह बात करते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी का आरक्षण से संबंध है तो मैंने संविधान सभा का उल्लेख किया, संविधान सभा में कौन सी पार्टी के सदस्य ने इसको पहले उठाया, इसका एक अध्ययन, एक रिसर्च उन्हीं से करवा लीजिए, जिसने यह बात कही । दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं कि ये चुनाव जीते या हारे, इस बयान के कारण । यह हिंदुस्तान की जनता और लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारतीय जनता पार्टी शर्मिन्दा नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, अभी मोहन मरकाम जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में हारे हैं, मैं हारा हूं, कोई जीता है । इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है । इस तरह की भाषा कैसे बोली जाने लगी ? किस बात का धन्यवाद ? कांग्रेस पक्ष का आदमी आज यह बोले, इस बात का कमिटमेंट दे कि आदिवासियों के लिए शराबबंदी होगी, उनके रिक्त पद भरे जाएंगे । सामाजिक सशक्तिकरण के कानून उनको दिए जाएंगे । उनके मामले समय पर निपटेंगे । केवल धन्यवाद से काम नहीं चलेगा । उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, मैं इस 126वें संशोधन का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उमेश पटेल :- चन्द्राकर जी, अभी आपने कहा कि कोई जीते, कोई हारे, क्या फर्क पड़ता है, यह लोक तंत्र की खूबसूरती है । पिछले पांच साल तक हम लोग भी सदन में सदस्य रहे । आपके ही



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और स्वयं आपको कई बार यह कहते हुए सुना कि अभी यहां तक सिमट गए हैं, अगली बार यहां तक आ जाएंगे, अगली बार यहां तक आ जाएंगे, अगली बार यहीं रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलो, देवव्रत जी ।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में केन्द्र सरकार द्वारा जो 126वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं । सबसे पहले मैं आपको उपाध्यक्ष बनने के लिए बधाई देना चाहूंगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की विधान सभा निश्चित रूप से अविस्मरणीय कार्यों के लिए जानी जाती है । पूरे देश में आज जो वातावरण है, उसमें इस छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने आरक्षण के पक्ष में जो समर्थन का प्रस्ताव रखकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसे पूर्ण सहमति प्राप्त होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण न केवल हमारे देश की एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे देश में समानता लाने का बहुत बड़ा प्रयास है, बल्कि इसकी जरूरत इसलिए ज्यादा है । हम देखते हैं कि विश्व के कई देशों में जातीय संघर्ष में लाखों लोग मारे जाते हैं । आज अफ्रिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में कई ऐसे देश हैं, जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण आज भी जातीय संघर्ष में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं । अगर हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था है तो एक मजबूत व्यवस्था के चलते आज समानता पर काम करने का प्रयास हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, जब समानता की बात होती है तो निश्चित रूप से सारी सरकारें इस बात का प्रयास करती हैं कि आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाईयों को मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार प्रयास करती रहती है । लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूं कि यदि आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना है तो कहीं न कहीं आज हमें इस बात पर सोचना पडेगा कि हमारा जो व्यापार है, जो व्यवसाय है जो प्रायवेट इकोनॉमी है, जो प्रायवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्रायवेट संस्थान हैं, इनमें भी आरक्षण लागू करने की सोच बननी चाहिए । क्या कारण है जो बड़े बड़े उद्योगों में हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के भाईयों को समानता का मौका क्यों नहीं मिलता ? देश की अर्थ व्यवस्था में प्रायवेट सेक्टर बहुत आगे निकल चुका है और 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार दे रहा है, सरकार केवल 20 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार दे पाती है । यदि आरक्षण को मजबूत करना है और हम चाहते हैं कि हमारे देश को अनुसूचित जाति, जनजाति के भाई बराबरी पर आएं तो कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्था के अलावा प्रायवेट उद्योग, प्रायवेट संस्थान, प्रायवेट विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण लागू करना चाहिए । अगर 10 वर्ष की बात आती है तो हम 10 वर्ष बढ़ाएंगे लेकिन इन 10 वर्षों में मुझे लगता है कि प्रायवेट उद्योगों में, प्रायवेट नौकरियों में, आप देख लीजिए बिग बाज़ार रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर में लगभग 2 हजार, 3 हजार लोग नौकरी करते हैं । लेकिन वहां कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है यदि आरक्षण की व्यवस्था होगी तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति के भाई भी

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

**समय**

**3.00 बजे** प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी पायेंगे। आज जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था बनी हुई है, सरकार किसी को नौकरी नहीं दे सकती। आप बैकलॉग की भर्तिया नहीं कर सकते। बजट में आबंटन नहीं है। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक ऐसा मौका है कि जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बन सकता है। हम ट्राई करें। हमारे जो माइनिंग के क्षेत्र हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां जो माइनिंग करने आती हैं, उन पर हम यह लागू करें कि छत्तीसगढ़ में यदि आपको माइनिंग का काम करना है तो आरक्षण लागू करना पड़ेगा। अगर आरक्षण माइनिंग के क्षेत्रों में लागू होगा, प्राइवेट सेक्टर में लागू होगा, प्राइवेट विश्वविद्यालय में लागू होगा तो निश्चित रूप से हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के भाइयों को बड़ा रोजगार अवसर प्राप्त होगा और यह एक ऐसा मौका है कि आने वाले विधान सभा सत्र में इस बात का प्रयास पूरे सदन में होना चाहिए। यह पहला राज्य बने जहां प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था बने, क्योंकि हमारे राज्य में आप अगर कल्पना करेंगे तो आज भी 85 प्रतिशत लोग आरक्षण से प्रभावित हैं। इनको लाभ मिलता है। लेकिन जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है, उनके बच्चों को मिल जाता है, लेकिन आरक्षण वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बनना चाहिए, जहां आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में लागू करके उद्योगों में लागू करना चाहिए। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनमें लागू करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के भाइयों को एक समानता का अवसर मिल सके। आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- थैंक यू। श्री पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री अमरजीत भगत :- सही-सही बोलिएगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने संविधान संशोधन पर बोलने का अवसर दिया। 126 वां संशोधन विधेयक भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लागू करने का दिल्ली से शुरूआत की। उसे हमारे राज्य के शासन के द्वारा अनुसमर्थन किया गया है, इसके समर्थन में धन्यवाद देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अब मैं शुरू करूंगा संविधान। जहां तक मैं समझता हूं संविधान। सरकार को देना चाहिए ध्यान और बढ़ाना चाहिए अनुसूचित जाति का स्वाभिमान। तब तो है यह संविधान। यदि हम संविधान का अर्थ समझने की कोशिश करें। संविधान का मतलब नहीं पहुंचाना है व्यवधान और हमें बढ़ाना है सभी अनुसूचित जाति का सम्मान। इसको कहते हैं संविधान। इस संविधान शब्द में अगर मैं कहूं आरक्षण। अगर इंगलिश में बात करते हैं तो आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन। रिजर्व का मतलब यह होता है कि हमारे मोटर साइकिल में रिजर्व कितने में लगता है? मोटर साइकिल में 10 लीटर पेट्रोल रहता है और 10 लीटर में जब एक लीटर

बचता है तो रिजर्व लगता है। अब रिजर्व लगता है तो एक लीटर में 9 लीटर अगर गति है तो आज की स्थिति में नया मोटर साइकिल है तो 60 का एवरेज होता है। पहले के मोटर साइकिल में 40 का एवरेज होता था और 9 लीटर मतलब रिजर्व नहीं रहता। नौ चौक छत्तीस। 360 की गति जनरल का है और रिजर्व की गति है 40 लीटर का। यानी 40 की गति है। तो दोनों में तालमेल कैसे होगा भाई? इधर है बघेल, खेल रहा है खेल, होना चाहिए तालमेल नहीं तो रिजर्वेशन हो जाएगा फेल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन परिस्थिति पर मोहन जी आप सोचिए..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सुनो क्या बोल रहे हैं?

श्री अमरजीत भगत :- फिर ते जाबे बेचे बर तेल। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तो बेचना है आपको मिट्टी तेल नहीं तो फेल हो जायेगा पूरा खेल। (हंसी) आज हमें सोचने की आवश्यकता है। इस कारण से हमें संविधान में ध्यान देना है कि 10 साल का आरक्षण बढ़ा। यह आरक्षण बढ़ाना हम सबका संविधान के प्रति सम्मान है। इस सम्मान में आप भी दिल्ली सरकार की योजना के अनुसमर्थन में हैं। हम भी समर्थन करते हैं और आपसे मैं अनुरोध करूंगा। अनूसूचित जाति और जनजाति का नौकरियों में जो रोस्टर होता है, मैं यह सरकार से जानना चाहूंगा कि रोस्टर में अनुसूचित जाति का नंबर कितना आयेगा? ऐसे में देखते हैं 27 प्रतिशत पिछड़े वर्ग का है। पहले के नंबर में 2 नंबर आता था। अनुसूचित जनजाति एक नंबर में और अनुसूचित जाति दूसरे नंबर में। पर अब चौथे नंबर में आता है। किसी भी कारण से कोई भी जो प्रमोशन होगा उसमें प्रमोशन अनुसूचित जाति के लोगों का नहीं हो सकता। इन परिस्थितियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम बजट की बात करें तो सरकार जनसंख्या के आधार पर बजट में राशि देता है। तो जनसंख्या के आधार पर देता है तो अन्य कार्य में जहां की जनसंख्या है उदाहरण के लिए मुंगेली जिला, वहां सबसे ज्यादा 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं। परन्तु वहां 100 करोड़ रूपये में 25 लाख रूपया मिलता है। कितना पैसा मिलेगा ? और जहां जनरल है, वहां उससे ज्यादा पैसा मिलता है। तो आप किस तरह से आरक्षण देने की व्यवस्था पर बात करते हैं। इन आरक्षणों का पालन करना भी आवश्यक है। सिर्फ समाधार-समरसता, चलना है एक रास्ता, नहीं तो फिर टूट जायेगा संविधान का व्यवस्था, आपका क्या है आस्था। आज हमको यह सोचने की आवश्यकता है। पिछली सरकार में डॉ0 रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, सन् 2001 की जनसंख्या में 12 प्रतिशत हुआ था। लोगों ने आरोप लगाया कि 16 प्रतिशत को कम कर दिया गया है। जब आपने 16 प्रतिशत देंगे, कहा था तो फिर आप 16 प्रतिशत दें। आप सन् 2011 की जनगणना को मानते हैं या 2021, अभी 2021 आया नहीं है। तो 2011 की जनगणना को मानते हो तो 13 प्रतिशत है ही। तो कौन सा ज्यादा दिया है, संविधान के अन्तर्गत दिया है। अलग से नहीं दिया है।

श्री रामकुमार यादव :- बाबू जी, बाबू जी।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये, बैठिये।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- एक मिनट बाबू जी। आउ ला कहथे कुछु, एक ठो ला कहथे अख्या, भारत के बहुत बड़े हे जनसंख्या।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप बैठिये। आप समझते नहीं हैं।

श्री चन्द्रदेव राय :- मोहले जी, 12 प्रतिशत कौन करिस ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- इस कारण मैं बता रहा हूं कि 13 प्रतिशत पर भी हम धन्यवाद देते हैं। परन्तु 16 प्रतिशत आरक्षण भी देना चाहिए। क्योंकि आपने 16 प्रतिशत के लिए बहुत विरोध किया था। पुन्नूलाल ने दस्तखत कर दिया, बोले थे। अब मेरा दस्तखत कहां है भैय्या, इसको बता दो ? सभी ने दस्तखत कर दिया। दस्तखत आपने भी किया इसका मतलब 13 प्रतिशत में ही दस्तखत कर दिए तो 16 प्रतिशत होना चाहिए। अगर जिला स्तर पर भी प्रमोशन होता है या आरक्षण होता है, या जिले में भर्ती होता है तो जिला में जो जनसंख्या है, उसी जनसंख्या के अनुपात में भी भर्ती हो। लेकिन उसमें भी अनदेखा किया जाता है। किसी रोड, सड़क, पुल-पुलिया का निर्माण होना है, तो आप अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण देना चाहते हैं या लाभ देना चाहते हैं, सुविधा देना चाहते हैं तो दुविधा करने के बात में भी उतना आपको वहां पर राशि देना चाहिए। आपने बजट में पास कर दिया और बजट पास करने के बाद बजट को रोक दिया तो आरक्षण पर कैसी बात है ? आप कैसा विकास करना चाहते हैं ? तो मैं इन सब बातों के लिए आग्रह करना चाहता हूँ। मेरा आलोचना करना विषय नहीं है। मैं आपको सिर्फ अवगत कराना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय हो गया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपने 10 वर्ष के लिए दिया, हमारी सरकार को, दिल्ली वाले हमारे मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, आप विपक्ष लोगों को भी धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि मैंने जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया, आप उसमें जरूर सुधार करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आशा है कि आप जरूर समाधान निकालेंगे और आप संविधान का सम्मान करेंगे, सम्मान बढ़ायेंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भी सम्मान देंगे, मैं इतना कहते हुए आप सबको एक रास्ते में, समरसता में चलने के लिए आग्रह करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक कविता और हो जाये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- संविधान है, न पहुंचाये व्यवधान,
चले मेरे संग रास्ता नहीं तो हालत हो जायेगा खस्ता।
नहीं तो ले जाना पड़ेगा रखकर बस्ता।
यही पुन्नू लाल को हे जंचता।

उपाध्यक्ष महोदय :- Thank you, Thank you. गुरूजी, आपको धन्यवाद। श्री धरमलाल कौशिक जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- अमरजीत भगत बोलता था अफवाह फैलाने का, कोन बोलत रहिस हे कि तोर दस्तखते हो गय कहके। कोन बोलिस, ओला बता न।

उपाध्यक्ष महोदय :- उनकी दोस्ती है, डाक्टर साहब बीच में मत करिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 126वां संविधान संशोधन विधेयक केन्द्र के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से पारित हुआ है। उनके अनुपालन के लिए आज विधान सभा के अंदर लाया गया है और हम सब उस पर चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में मैं इसके लिए नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्लियामेंट में पारित होने के बाद पूरे देश के 50 प्रतिशत जो राज्य हैं, वहां से उसका अनुसमर्थन होना चाहिए और उसी के तहत आज छत्तीसगढ़ की विधान सभा में हम लोग अनुसमर्थन के लिए चर्चा कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में एक बात तय है कि उसको सर्वसम्मति से पारित करना है, यह हम सबका ध्येय है। केन्द्र सरकार की जो भावना है, मोदी जी की जो भावना है, उस भावना में हम सभी अपनी भावनाओं को समाहित करते हैं। अपनी भावनाओं को समाहित करते हुए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में आरक्षण की बात है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? जहां पर जातिगत आधार पर निर्णय हो और जो स्थितियां बनी, इन स्थितियों के कारण लगा कि यदि सबमें समानता का भाव लाना है, उनको समान अवसर उपलब्ध कराना है तो कुछ जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, यदि उनको समकक्ष लाना चाहते हैं तो अलग से प्रावधानित करके उनको हम सहयोग करें कि जिससे आगे समानता की स्थिति में आ सके, किन्तु आजादी के पूर्व भी आरक्षण की बात आई है और आजादी के पूर्व सबसे पहले 1902 में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी के द्वारा आरक्षण की बात आई, जो पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उनके हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण प्रारंभ किया, वहां से आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ हुई ।

**समय**

**3:11 बजे** **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

उसके बाद में भिन्न-भिन्न समय पर आजादी के पूर्व 1909 में भारत सरकार अधिनियम में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था और उसके बाद 1921 में मद्रास प्रेसीडेंसी में जातिगत आधार पर आरक्षण हेतु आज्ञा पत्र जारी किया गया, 1942 में भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर जी ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासभा की स्थापना करते हुए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की थी और उसके बाद में जब देश को आजादी मिली तो आजादी मिलने के बाद में यह बात आई कि यदि मुख्य धारा में सबको जोड़ना है, सभी को समान अवसर मिलना है, तब संविधान सभा के निर्माण और उसके बाद में यह आरक्षण की बात आई और उसके बाद में 1950 में फिर लागू हुआ । लागू होने के बाद में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय-समय पर 10-10 साल के लिए बढ़ाते रहे । 10 साल के लिए इसलिए प्रावधान रखा गया कि उस समय यह कल्पना की गई थी कि 10 साल के अंदर में आरक्षण के कारण समाज में समरसता का भाव आएगा और जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए हैं, उन सबको एक अवसर मिलेगा कि समाज में मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, किन्तु 10 वर्ष के पश्चात् यह बात आई कि अभी भी इसको बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि जितनी प्रगति होनी चाहिए, जितने आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समाज को आगे आना चाहिए, वह कहीं न कहीं पीछे है और उसके कारण लगातार समय-समय पर वृद्धि हुई है । उस वृद्धि के साथ में अभी नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा लाया गया कि अब 25 जनवरी, 2030 तक के लिए आरक्षण की व्यवस्था हम लागू करें। आज मुख्य विषय यह है कि कई वक्ताओं ने आरक्षण के विषय में अपनी बातें रखीं और बातें रखते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कहा कि 70 साल हो जाने के बाद भी आखिर उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार से वंचित क्यों हैं, जहां उनको सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान से वंचित क्यों हैं ? लगातार जो सरकार रही है, एक लंबे समय तक एक सरकार चली और उस सरकार के रहने के बाद भी सत्ता पक्ष के सदस्य इस बात को कहते हैं कि वे जो सम्मान के अधिकारी हैं, वह सम्मान उनको नहीं मिला है । मैं यह बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि उसके लिए दोषी कौन है, लेकिन विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर वे सम्मान के अधिकारी हैं तो उनको सम्मान क्यों नहीं मिला ? सम्मान नहीं मिला तो आने वाले समय में उनको वह सम्मान मिले, 10 वर्ष के लिए हम सब लोग उसको यहां पर पारित कर रहे हैं । अब मुख्य रूप से सम्मान मिले तो सम्मान के अधिकारी हैं तो सम्मान कैसे मिलेगा, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं कि मूल रूप से हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था, हमारी जो आर्थिक ढांचा, हमारी सामाजिक संरचना कहीं न कहीं आज भी यह महसूस करते हैं कि आने वाले 10 सालों के लिए उसको बढ़ाने की आवश्यकता है । अब इन 10 वर्षों में उनके लिए कार्य योजना बननी चाहिए कि इन 10 वर्षों में हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति के जो बंधु हैं, ऐसी कौन सी कार्य योजना हमको बनानी चाहिए, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से वे सम्पन्नता की ओर जाएं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कैसे होनी चाहिए । अभी हमारे कुछ वक्तागण बता रहे थे, रेत के खदान की बात आई तो खनिज में भी उनकी भागीदारी हो । निश्चित रूप से अभी खनिज में जो माईनिंग के काम चल रहे हैं, जहां पर ठेका पद्धति हो रही है, उसमें उन लोगों का अधिकार मिल रहा है, यह उनको आर्थिक रूप से बढ़ाने का प्रयास है । इस विधान सभा के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, उनके लिए जो समुचित प्रयास कर रहे हैं, इस प्रदेश की जो पूंजी है, उसके लाभ का एक हिस्सा उनको मिल सके । ऐसी कौन सी योजना बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं ? जहां तक शैक्षणिक स्थिति की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो प्रदेश में एक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है, संस्था के माध्यम से जो आज खासकर, हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे छात्र-छात्रायें हैं, नक्सल उत्पीड़ित जो छात्र-छात्रायें हैं, जहां पर वे प्रभावित रहे हैं, ऐसे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बच्चों को लाकर प्रयास में डालना, उनको लेकर कोचिंग कराना, उनको लेकर हायर एजूकेशन के लिए तैयारी करना, सुखद है । आज जो पोटा केबिन हमारे चल रहे हैं । मैं बस्तर के चुनाव के समय देखने गया था । कई हमारे पोटा केबिन बंद होने की स्थिति में आ गयी हैं । आखिर इस पोटा केबिन में कौन से बच्चे वहां पढ़ रहे हैं ? किस समाज के लोग वहां पर अध्ययन कर रहे हैं ? यदि पोटा केबिन खोला गया है तो किसके लिए खोला गया है ? पोटा केबिन के बंद होने से समाज के किस बच्चे पर असर होगा? मुझे लगता है कि पोटा केबिन को हम जितना मजबूत करेंगे, वहां के हमारे पढ़ने वाले छात्र-छात्रायें हैं, उनकी स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि उनके माध्यम से आने वाले समय में हम जो कल्पना करते हैं, आई.ए.एस. के लिए हमारे बच्चे आगे जाये, आई.पी.एस. के लिए उनका सिलेक्शन होना चाहिये, आई.आई.टी. के लिए उनका सिलेक्शन होना चाहिये, आखिर उनका नींव मजबूत कहां से होगा ? दिल्ली में यदि डॉ.रमन सिंह जी के द्वारा वहां पर आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. के कोचिंग के लिए सेंटर खोले गये । उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । हम यदि उनको लेकर वहां पर जायेंगे, उनके लायक उनको वहां पर कोचिंग करायेंगे, तो जो प्रतियोगी परीक्षायें हैं, उनको वहां पर सफलता मिलेगी । निश्चित रूप से आज के समय में चाहे सरगुजा की बात करें या हम बस्तर की बात करें, वहां मेडिकल कॉलेज की हम बात करें, वहां पर मेडिकल कॉलेज हम क्यों खोलें ? वहां पर नये यूनिवर्सिटी क्यों स्थापित की गई ? एक ऐसा अंचल है जो मध्य क्षेत्र से काफी दूर है । वनवासी क्षेत्र में रहने वाले छात्र-छात्राओं को वहां के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके । लाभ ही न मिले, जो उनकी आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति है, उसको मजबूत कैसे किया जा सके ? इस दृष्टिकोण से उन वर्गों के लिए जो एक आर्थिक, एक सामाजिक, शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए साढ़े 15 साल में हमने जो प्रयास किये हैं, उसका हम निर्माण करें । अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं जब उस समय भोपाल में विधायक था, विधायक था तो गांवों के दौरे में जाते थे । गांवों के दौरे में जाने से बिना बताये पता लग जाता था कि सामान्य वर्ग के लोग किस मुहल्ले में रहते हैं ? हमारे अनुसूचित जाति के लोग किस मुहल्ले में रहते हैं ? बाकी मुहल्ले में आप लोग देखते हैं कि सी.सी. रोड बना हुआ है, उनके पीने के पानी की व्यवस्था है । लेकिन जहां पर हमारे उस समुदाय के लोग रहते हैं, उस गली में कोई काम नहीं होता था, न लोग कोई करवाना चाहते थे । आखिर कौन सा भेद, उनके साथ किसलिए किया गया ? क्यों वे वर्षों तक उपेक्षित रहे ? जब प्राधिकरण का गठन हुआ, प्राधिकरण के गठन होने के बाद में, यहां पर जब पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण बनाया गया, अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण बनाया गया, यह सुनिश्चित किया गया कि जो राशि इसमें तय की जायेगी, उस मुहल्ले के छोड़ दूसरे मुहल्ले में कोई काम नहीं करा सकता । आज आप गांवों में जाकर देखेंगे, मैं मंगल भवन की बात करता हूँ । जो भी मंगल भवन आपको दिख रहे हैं, आप जो भी वहां के सी.सी.रोड देख रहे हैं, जो नालियों की व्यवस्था देख रहे हैं, जो आप वहां के सिंचाई के साधन देख रहे हैं, इस प्राधिकरण के माध्यम से आज उन वर्गों को लाभ मिला

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है, ताकि आने वाले समय में उनको जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है, हम इस प्रदेश में समता के आधार पर आगे बढ़ाकर कक्ष में ले जाकर उनको खड़ा कर सकें । इसके लिए जो वातावरण का निर्माण हुआ है, आज पूरे प्रदेश में इसका लाभ मिला है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आने वाले 10 वर्ष के समय की बात कर रहा था कि इन 10 वर्षों में हम इस विधानसभा में बैठकर खासकर हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोग हैं यदि हम उनके लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ा रहे हैं तो इस आरक्षण के साथ ही आने वाले समय में उन्हें आरक्षण की आवश्यकता न पड़े इसके लिए जब तक हम कोई कांक्रीट योजना बनाकर प्लान तय नहीं करेंगे, तो जैसा हम लोग बढ़ाते रहे हैं उसे आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आज वह समय आ गया है कि सबको सामाजिक रूप से सम्मान मिले, समता के साथ सभी को लाभ मिल सके, उसे समानता का लाभ मिल सके तो उस समय सीमा में उनके लिए काम करें। आज जिस बात का उल्लेख हुआ कि हमारे आरक्षित पद खाली हैं। चाहे कालेज की बात हो, हाईस्कूल हों, चिकित्सकों के पद खाली हैं। एक साल के अंतर्गत भर्ती का जो अभियान चलाया जाना चाहिए था, जहां रूका हुआ है वहां उनकी जो पोस्टिंग होनी चाहिए थी वह आखिर क्यों नहीं हुई? जब तक हम उनके पदों को खाली रखेंगे, वह जिस लायक हैं, उनकी जो योग्यता है यदि उस योग्यता वाले पद खाली रहते हुए भी यदि हम उनकी भर्ती नहीं कर पायेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ में उन पदों को हम भरें और भरने के साथ ही साथ नये पदों का हम श्रृजन करें। हम कहते हैं कि हमारा 44 प्रतिशत क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है। ऐसे वनांचलों में जो हमारे कालेज और स्कूल खुले हुए हैं उनकी जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उन पदों को हम क्यों नहीं भरना चाह रहे हैं? उसके लिए हम परीक्षा क्यों आयोजित नहीं कर रहे हैं? मैं तो एक दिन समाचार पत्र में दिया कि इस बार की जो पी.एस.सी. परीक्षा है वह निल हो रही है तो आप तीसरे-चौथे दिन सक्रिय हुए और कुछ पदों का विज्ञापन जारी हुआ अन्यथा हम पी.एस.सी. भर्ती परीक्षा में जीरो ईयर में जा रहे थे। यदि हमारा पी.एस.सी. जैसा संस्थान जीरो ईयर में जाए तो हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हम किस विकास की दिशा में जा रहे हैं और हमारे मानदंड क्या हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। हमें इस बात को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस विषय में बहुत सारी बातें आयी हैं। मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि हमारा जो 126 वां संविधान संशोधन केन्द्रीय सदनों में पारित हुआ है और जिसे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अनुपालन के लिए लाया गया है इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए और मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस संकल्प पर 3.00 बजे तक का समय तय किया था और उस समय को बढ़ाया नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- जब आप लोग सहमत होते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपकी कार्यसूची में वह शामिल है।

विधि और विधायी कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाकर 25 जनवरी, 2030 तक करने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित रूप में जो विधेयक प्राप्त हुआ है, वह संकल्प के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। उसमें जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं :- माननीय श्री मोहन मरकाम जी, डॉ. रमन सिंह जी, श्री अजीत जोगी जी, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, श्री केशव चंद्रा जी, श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय जी, श्री शिवरतन शर्मा जी, श्री संतराम नेताम जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री देवव्रत सिंह जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, श्री धरमलाल कौशिक जी। सबने अपना अनुसमर्थन व्यक्त किया है और माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने कहा कि ये हमेशा के लिए पारित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विरोधाभाष वहां देखने को मिला जब श्री शिवरतन शर्मा जी का कहना था कि आरक्षण देने के कारण अब तक जो आर्थिक रूप से प्रगति होनी चाहिए, आदिवासियों को सम्मान मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मैंने जिसका उल्लेख किया था उसको आप बताईये न। उद्देश्य और कारण जो विधेयक के साथ दिया गया था उसके पैरा-(2) में लिखा गया है, मैंने उसको उल्लेखित किया था।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य और कारण के बाद आपने जो बात कही कि आने वाले समय में अब तक जिन पार्टियों ने राज किया, जिन लोगों की सरकार रही। वे इसके लिये जिम्मेदार हैं कि अब तक इनकी आर्थिक प्रगति नहीं हुई, उन्नति नहीं हुई।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप उसका उदाहरण दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने उदाहरण भी दिया। लेकिन यह विरोधाभास जब देखने में आया, जब माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने कहा कि यह हमेशा के लिये होना चाहिए तो उसके पीछे इनकी क्या मंशा है ? यह भी स्पष्ट करने की जरूरत है और जहां तक आदिवासियों को सम्मान देने की बात है, उनकी आर्थिक प्रगति की बात है तो मैं खाली एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। जांजगीर चांपा में पावर प्लांट का निर्माण हो रहा था और एक आदिवासी जिनकी कुल आधा एकड़ जमीन थी और आधा एकड़ जमीन के बारे में क्योंकि नियमानुसार अनुमति नहीं दी जा सकती थी। जीविका के लिये पांच एकड़ जमीन बचना जरूरी होता था। उसमें तहसीलदार ने जब एस.डी.एम. के पास सिफारिश किया कि आधा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एकड़ जमीन है और यदि यह भी बेचने की अनुमति दे दी जायेगी तो यह क्या करेगा ? जीविका कैसी चलेगी ? तो आपके अधिकारी तत्कालीन लिखते हैं कि मजदूरी करेगा। ये इस प्रकार के सम्मान आपके समय में हुआ है। (शेम शेम की आवाज) तो आप आर्थिक उन्नति और प्रगति की बात कर रहे हैं। यदि आप आदिवासियों की आर्थिक प्रगति की बात चाहते थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसे अधिकारी के खिलाफ आप कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं। आप 13 महीने से सरकार में हैं। क्या आपने ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की ? सदन को बता दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- ऐसा है कि ये सब कर करके तो 15 साल आप बिता दिये। अब कार्यवाही की बात यहां कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- जब आप बता रहे हैं कि अधिकारी ने ऐसे की करके तो आप उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने को भी स्वतंत्र हैं। आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- उस समय कार्यवाही क्यों नहीं किये ?

श्री मोहम्मद अकबर :- यह आपको बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार से सम्मान करते थे। किस प्रकार से आप सम्मान करते थे।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अभी जब सरकार बदली तो माननीय भूपेश बघेल जी ने आदिवासी वर्ग से चीफ सेक्रेटरी बना करके मान सम्मान बढ़ाया। ये है, कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी....।

श्री मोहम्मद अकबर :- इसी विधानसभा में जब टाटा कंपनी के बारे में आपने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का यह ऐतिहासिक पल है और बस्तर की दिशा और दशा बदलेगी। आपने आदिवासियों का पांच हजार एकड़ जमीन ले लिया, टाटा कंपनी को दे दिया। क्या आप टाटा कंपनी से फिर उद्योग लगवा पाये, नहीं लगवा पाये ? उसके बाद आदिवासियों का सम्मान करना था, उनकी आर्थिक प्रगति से जुड़ी हुई बात थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार आने के बाद तत्काल उन आदिवासियों की जमीन वापस करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। (मेजों की थपथपाहट) बहुत सी बातें, बहुत से लोगों ने की है। समय बहुत कम है, ज्यादा कुछ न कहते हुए जो प्रस्तुत संकल्प है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- अकबर साहब, मैंने एक विषय और उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, आप जरा उसको बता दो।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

"यह कि यह सदन, भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परंतुक के खण्ड (घ) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और संसद के दोनों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित है।"

**संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।**

**(मेजों की थपथपाहट)**

अध्यक्ष महोदय :- अब श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज विधानसभा में गलत परंपरा डाली जा रही है और उस गलत परंपरा की भागीदार हम नहीं बनना चाहते कि एक ही दिन कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव आये, एक ही दिन उसके ऊपर में संशोधन भी आ जाये, उसी दिन उस पर चर्चा की जाये। हमने पहले भी आपत्ति ली थी और इसलिए हम इस निर्णय के विरोध में हम सदन से बाहर जाते हैं।

समय
3:29 बजे

**<u>बहिर्गमन</u>**

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धनेन्द्र साहू जी।

समय
3:29 बजे

**<u>(2) राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा</u>।**

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतघ्न हैं। यह जो विपक्ष का आचरण है, जबकि यह परम्परा रही है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाये रखना चाहिए, किसी भी तरह का व्यवस्था का प्रश्न, बहिष्कार या अन्य प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं किया जाता, इसके साथ ही माननीय राज्यपाल के प्रति पूर्ण आदर और सम्मान की भावना व्यक्त की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे विपक्ष ने जिस तरह से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का बहिष्कार किया, मैं समझता हूँ कि इसकी निन्दा की जानी चाहिए, विपक्ष का यह कृत्य, आचरण कतई उचित नहीं कहा जा सकता।(शेम-शेम की आवाज)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को यह गर्व होता है कि हमारे इस प्रदेश में पिछली सरकार के 15 सालों के कुशासन के बाद में आज हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में से लगभग 80 प्रतिशत से अधिक किये गये वायदों को पूरा किया है, उसका सफल क्रियान्वयन हुआ है। यह उसी का परिणाम है कि इस 1 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जो काम किये हैं, अभी हमारे शहरी सरकार के चुनाव में उसका नतीजा देखने को मिला है। हमारे पूरे 10 नगर निगमों में जो चुनाव हुए, उसमें पूरा का पूरा विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया। (मेजों की थपथपाहट) कहीं भी, एक भी नगर निगम में ये लोग अपना परिषद् नहीं बना पाये। उसी तरह से नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी काफी अधिक बहुमत प्राप्त हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऐतिहासिक दिन है। साल के पहले दिन ये जो सत्र है, इस सत्र के माध्यम से जो लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए जो आरक्षण की सीमा को 10 साल बढ़ाने का फैसला किया है और उसमें आज हमारा राज्य भी, हमारी सरकार के फैसले को अनुसमर्थन करने में अग्रणी प्रदेश के रूप में अपनी भूमिका निभायी है और इस विशेष सत्र में अभी इसका सभा के द्वारा अनुमोदन भी किया गया है। हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। अनुसूचित जाति, जनजाति के हितों के लिए जो लगातार इस बीते साल में बड़े-बड़े फैसलें लिये गये हैं। जैसा कि बस्तर में टाटा संयंत्र के लिये आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, उस जमीन को लौटाने की बात हो और आज हमारी सरकार के प्रति आदिवासियों, अनुसूचित जातियों में बहुत बड़ा विश्वास जागा है। इसी के साथ-साथ तेन्दूपत्ता की तोड़ाई जो पिछली सरकार में 2500 रूपये मात्र क्विंटल दिया जाता था, उसको भी बढ़ाकर मानक बोरा 4000 रूपये क्विंटल किया गया। इसी तरह से आज हमारे पूरे प्रदेश के किसानों को सर्वाधिक लाभ हुआ है कर्जा माफी, सिंचाई कर की माफी और उसी के साथ-साथ धान की कीमत 2500 रूपये क्विंटल दिये जाने का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ, जिससे हमारे किसानों के जीवन में सुधार आया है। किसानों की आर्थिक, क्रय स्थिति मजबूत हुई है और बाजारों में उसका सीधा-सीधा असर दिखायी दिया है कि जो बाजार आज जी.एस.टी. और नोटबंदी के कारण लगभग पूरी तरह से एक बर्बादी के कागार में था, जहां देश के सारे राज्य मंदी की मार झेल रहे हैं वहीं हमारे इस राज्य में मंदी का असर कहीं कुछ नहीं हुआ है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि हम पिछले 1 साल की उपलब्धियों को देखें तो आज किसान खुशहाल हुए हैं। तेन्दूपत्ता की बातें हो तो हमारे आदिवासी क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, इन सारे उपायों के कारण से यहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली लोगों को आधे रेट पर दी जा रही है, उससे हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। पिछली सरकार ने राशन कार्डों में जो कटौती कर दी थी, आज पुन: उसे बहाल किया गया। कार्डधारियों को 35 किलों चावल दिया जा रहा है। हमारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार ने सारे परिवारों को राशन कार्ड देने की जो पहल की है, यह आज बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तमाम् सारे कारणों से आज बेरोजगारी की स्थिति, क्षेत्र में अन्य प्रदेशों की तुलना में सफलता मिली है। बेरोजगारों की संख्या कम हुई है, आज लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह हमारी सरकार की जो विभिन्न उपलब्धियॉ हैं, आज उसको हम लोग गिनाने जायें तो काफी एक लंबी फेहरिस्त हो सकती है। शहरी क्षेत्रों में छोटे भूखंडों की बिक्री की बातें हों, गाईडलाईन से 30 प्रतिशत कम में जमीन खरीदी की बातें हो, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुपोषण योजना को एक प्राथमिकता के तहत पूरे प्रदेश में लागू किया है, आज हमारे इस प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप गरीब बच्चों, महिलाओं के सुपोषण के लिए जो योजना चलाई गई है, वह काफी सराहनीय योजना है। आज हमारे प्रदेश में विकास का एक नया वातावरण निर्मित हुआ है, विश्वास का वातावरण निर्मित हुआ है, शांति की बहाली हुई है। जहां पिछली सरकारों में यहां पर बड़े पैमाने पर नक्सली घटनायें होती थीं, आज उसमें भी काफी अधिक कमी आई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और अधिक कुछ न कहते हुए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज माननीय राज्यपाल महोदया जी ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है और हमारे सरकार में अनुसूचित जाति, जनजातियों के विकास के प्रति एक विश्वास का वातावरण निर्मित हुआ है, उसके प्रति जो हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए मैं पुन: माननीय राज्यपाल महोदया जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए इस प्रस्ताव के प्रति पूरी कृतज्ञता जाहिर करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में माननीय सदस्यों की ओर से कोई भी संशोधन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अत: अब माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। श्री शिशुपाल सोरी जी।

श्री शिशुपाल सोरी (कांकेर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक जी के द्वारा जो कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा इंगित किया गया है, यह हम सबके लिए गौरवशाली अवसर है कि आज उस विषय पर इस साल की शुरूआत सत्र से हो रही है जिसमें दलित, शोषित वर्ग के आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसे 10 वर्ष आगे बढ़ाये जाने जैसे पवित्र संकल्प लेने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं और यह एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर है और मुझे खुशी है कि इस सत्र में मैं पूरे वरिष्ठ साथियों के साथ सहभागी हूं। हमारी सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित है। अभी हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने हाटबाजारों में क्लीनिक के माध्यम से जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई, बहने हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उनको समुचित स्वास्थ्य लाभ मिले, इस पर बड़ी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गंभीरता से काम कर रही है और जिसका लाभ पूरे अंचल में दिखलाई पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के माध्यम से 20 लाख तक की सभी के लिए स्वास्थ्य योजना लाने की बात है, जिसमें बड़ी गंभीरता से हमारी सरकार विचार कर रही है । मैं समझता हूं कि इससे सबसे ज्यादा लाभ होगा वह वंचित वर्ग, जो अभावों में जीता है उस वर्ग को लाभ होगा । हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथियों को होगा । हमारा जो आदिवासी समाज है वह बड़ा स्वच्छंदता और उमंगों में जीने वाला समाज है । अपनी परम्परा, अपना लोक नृत्य, अपने लोक गायन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है । हमारे भूपेश बघेल की सरकार ने, हमारे कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी संस्कृति को मान-सम्मान देने के लिए जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह का आयोजन किया जिससे पूरे आदिवासी समाज में एक उत्साह का संचार हुआ, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे आदिवासी समाज की ओर से बधाई देता हूं । जिससे न केवल उस ग्रामीण अंचल के नर्तक दल, जो हमारी संस्कृति के उपासक हैं, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला और पूरी दुनिया को हमारी आदिवासी संस्कृति से परिचित होने का सुअवसर मिला । अध्यक्ष महोदय, हमारे जो आदिवासी युवा हैं वे संसाधनों के अभाव में सामने नहीं आ पाते, उन्हें अच्छा मंच नहीं मिल पाता । हमारी भूपेश बघेल की सरकार ने ऐसे युवाओं को अवसर देने के लिए युवा उत्सव करके, युवाओं में जोश भरने का काम किया और उसका लाभ आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा । हमारे ग्रामीण युवाओं में उत्साह आएगा उससे एक क्रांति आएगी । राजीव मितान युवा मिलान क्लब की स्थापना से उन नवजवानों को जो किसी भी विधा में अपनी कला, अपने हुनर का प्रदर्शन करना चाहते हैं । जो दूरस्थ इलाकों में घने जंगलों में बसे हुए लोग हैं, ऐसे युवाओं को भी अपना हुनर, अपना जौहर दिखाने का अवसर मिलेगा । आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि हम उन वर्गों के रिजर्वेशन को 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का संकल्प लेकर आज उपस्थित हुए हैं। मैं अपना वक्तव्य खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, चंद्राकर जी नहीं है, उन्होंने रविशंकर प्रसाद जी के वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा था कि एसटी, एससी के मामले में क्रिमिलेयर लागू नहीं है, मैं विनम्रतापूर्वक अवगत कराना चाहूंगा कि यह लागू है । आज एससी.एसटी. को तीन तरह के आरक्षण प्राप्त हैं । एक राजनीतिक आरक्षण, जिसकी वजह से हम यहां बैठे हुए हैं । दूसरा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में । शिक्षा के क्षेत्र में क्रिमिलेयर है, ढाई लाख की सीमा है, एसटी.,एससी. में 8 लाख की सीमा है । ओबीसी में 8 लाख की सीमा है । अगर एसटी. के किसी अभिभावक की आय ढाई लाख से ज्यादा है तो उसको शिक्षा में एसटी. की हैसियत से मिलने वाला लाभ नहीं होगा । इस बात को हमारे संगठनों ने कई बार ध्यान में लाया है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से लेकर कई बार इसको केन्द्रीय सरकार को भेजा है किंतु इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है । मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहूंगा कि जो सम्माननीय सदस्य हैं, बहुत ही ज्ञानवान सदस्य हैं लेकिन वे सफेद झूठ बोल रहे थे कि क्रिमिलेयर लागू नहीं है । जिस गंभीरता से हमारे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुख्यमंत्री जी इसको ले रहे हैं, मैं केन्द्र सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में काम करें । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद् ज्ञापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया और माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा जो अभिभाषण दिया गया, उसका कृतज्ञता ज्ञापन भी हुआ और उसमें चर्चा में आदरणीय धनेन्द्र साहू जी और आदरणीय शिशुपाल शोरी जी ने भाग लिया। यह परंपरा रही है कि जब भी नये कलैण्डर वर्ष में विधान सभा आहूत किया जाये तो उसे राज्यपाल महोदय के द्वारा एड्रेस किया जाता है। उस परंपरा का, उस नियम का जो संविधान में व्यवस्था है, उसका हमने पालन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही पिछले सत्र में इस सदन में आपने घोषणा की थी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट सत्र आहूत किया जायेगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी। भारत सरकार यदि यह जो बिल अभी आया, जिसे अनुसमर्थन आधा राज्यों को करना था । यदि यह पहले हो जाता तो हम पिछले सत्र में ही इसका अनुपालन कर लेते, अनुसमर्थन कर लेते, लेकिन सत्र के अंतिम-अंतिम में यह हुआ और हमारे पास उसकी जो कॉपी आयी, वह दिसंबर के आखिरी में आई। फिर बाध्यता थी कि हम एक दिन के लिए सत्र बुलाएं। बहुत सारे राज्यों ने बुलाया है। हमने भी बुलाया। हमने विपक्ष के साथियों से बात की। सबसे चर्चा करके ही यह कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि विपक्ष इतना बिखरा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष से बात करें तो दूसरे लोग वे राज्यपाल के पास जायें, ज्ञापन दें या बहिर्गमन करें, यह उनका अधिकार है, लेकिन यदि वे परंपरा की बात करते हैं तो परंपरा तो यही है कि यदि विपक्ष सदन में कार्यवाही से, सत्ता पक्ष के किसी बात से यदि असहमत हैं तो उन्हें वाक-आउट करने का अधिकार है, लेकिन उसे विपक्ष के नेता तय करते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि दो-दो बार बहिष्कार हुआ। नेता प्रतिपक्ष बैठे रहें। दूसरे सदस्य घोषणा कर रहे हैं कि हम बहिर्गमन करते हैं और राज्यपाल के अभिभाषण में कब बहिर्गमन हुआ ? लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जहां तक आरक्षण की बात है। आरक्षण के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो गई, लेकिन अब जो चिंता है, वह यह है कि नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी तक में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सार्वजनिक उपक्रम खोले गये और उसके कारण से समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, उसके जीवन-स्तर को कैसे उठाया जाए और इसलिए शासकीय धन से सार्वजनिक उपक्रम खोला गया ताकि इन लोगों को भी अवसर मिले, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब पिछले समय एन.डी.ए. की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व माननीय अटल जी कर रहे थे, पहली बार यह हुआ कि डिसइनवेस्टमेंट डिपार्टमेंट ही एक बनाया गया और उसके चलते पूरे देश के जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, उसे निजी हाथों में बेचना शुरू किया गया, जिसमें हमारा बालको भी है। अभी भी वही चल रहा है। अब हमारे नगरनार स्टील प्लांट व भिलाई स्टील प्लांट लिस्ट में है। अब तो रेलवे का निजीकरण हो रहा है। तो फिर लोगों को लाभ कहां से मिलेगा? जब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शासकीय सार्वजनिक उपक्रम ही समाप्त होते जा रहे हैं तो हमारे अवसर और सीमित होते जा रहे हैं। यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। जिन सार्वजनिक उपक्रमों को दुनिया के विभिन्न देशों के सहयोग से हम लोगों ने और हिन्दुस्तान के हमारे नेताओं ने खोला, जिसके कारण से निश्चित रूप से हजारों-हजार लाखों लोगों के परिवार के जीवन-स्तर में परिवर्तन आया, लेकिन अब वह क्रम घटने लगा है, वह अवसर घटने लगा है। यह दुर्भाग्यजनक बात है। आरक्षण पर बात हो रही थी, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं नहीं, जो लिखकर लाये थे, उसको पढ़ रहे थे। वे जिन-जिन लोगों की बात कर रहे थे, जिन-जिन लोगों ने संविधान का अपमान किया है, जो संविधान को नहीं मान रहे थे, जो आरक्षण का विरोध कर रहे थे, उनको भी बाध्य होना पड़ा। जब संविधान बना और सन् 1950 में लागू हुआ, तब भी इन लोगों ने विरोध किया था। तब भी इन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया था। महिलाओं को सम्पत्ति में जो अधिकार दिया गया था, उसका इन लोगों ने विरोध किया था। आज किस मुंह से अम्बेडकर जी के संविधान की तारीफ कर रहे हैं। उन लोगों ने तो उस समय विरोध किया था। यदि वे रहते तो मैं अभी सब बताता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चलो, दिखावे के लिए ही सही, वे कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपने पिछले समय विशेष सत्र बुलाया था। तो हमने कहा था कि आप गांधी जी को अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गोडसे मुर्दाबाद भी बोल दीजिये। लेकिन एक भी सदस्य ने दो दिनों में गोड़से मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा पाये। इसका उदाहरण है कि जब इनके मातृ संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब वही सरदार पटेल, उस समय हमारे देश के उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, उन्होंने हस्ताक्षर कराया कि आप संविधान का सम्मान करेंगे, आप तिरंगा का सम्मान करेंगे, आप कहीं हिंसा नहीं करेंगे, यह हस्ताक्षर करवाया गया और आज ये संविधान की बात कर रहे हैं और हमको कहते हैं, बता रहे हैं कि मोदी जी ने किया। यह उनकी बाध्यता है, मजबूरी है। लेकिन दूसरे रास्ते से क्या कर रहे हैं ? जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको निजी हाथों में बेच रहे हैं। आरक्षण का जो लाभ इन वर्गों को मिलना चाहिए, एस0सी0, एस0टी0 को मिलना चाहिए, उससे उनको वंचित करते जा रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यजनक बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए, क्योंकि एक महीने बाद सत्र आने वाला है, उसमें लंबी चर्चा होगी, अनेक विभागों पर भी चर्चा होगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल मकर संक्रांति थी, सबको, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक रिकार्ड बनाया, 10 नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा हुआ। (मेजों की थपथपाहट) 10 महापौर बने। 38 नगर पालिका में से 28 नगर पालिका अध्यक्ष बने। 103 नगर पंचायतों में से 61 से अधिक नगर पंचायतों में वहां की जनता ने हम पर विशवास किया। मै इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्ता करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) सभी जीते हुए जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है, उसके मामले में माननीय राज्यपाल महोदया ने वहीं तक अपने अभिभाषण को सीमित रखा। अध्यक्ष महोदय, वह बात भी थी। जब भारत सरकार ने, इन्हीं की ही पार्टी है, जिसकी केन्द्र में सरकार है, उन्होंने 10 साल के लिए बढ़ाया है। विषय केवल इतना ही है, तो उसमें ये लोग संशोधन क्या दे सकते हैं ? संशोधन उसमें दिया जाता है, जिसमें आपकी विचारधारा न मिलती हो। लेकिन आपने कृपापूर्वक समय भी दिया, उसका पालन भी किया, उसके बाद भी वे लोग विरोध करके चले गये। यह उनका अधिकार है, जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। मैं राज्यपाल महोदया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, पूरे सदन को धन्यवाद देते हुए, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा। माननीय सदस्यगण राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

**(राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई।)**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 3 बजकर 56 मिनट पर सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित)

**रायपुर**
**दिनांक 16 जनवरी, 2020**

**(चन्द्र शेखर गंगराड़े)**
**प्रमुख सचिव**
**छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं